

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)
(Constituted under Indian Medicine Central Council Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा
2007-2008


Annual Report and Audited Accounts
2007-2008




61-65, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058

61-65 Institutional Area, Janakpuri
New Delhi-110058


भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



अध्यक्ष



निबन्धक एवं सचिव



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली
वर्ष २००७-२००८ का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3(II) दिनांक 10.08.1971 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा उक्त राजपत्र 1984 एवं 1995 में संशोधन करते हुए सदस्यता में परिवर्तन किया गया है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :-

- i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यता (समावेश)/से मान्यता को वापिस लिए जाने से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजीक का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशीलित करना।
- iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।
- v) भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अतिरिक्त विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पर विचार करना व भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती एवं लागू करती रही है।

अब भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर तथा पाठ्यविधि एवं पाठ्य-विवरण का अनुसरण कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में 09-11-03 से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों को भारत सरकार से अनुमति लेने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 82) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (विद्यमान महाविद्यालयों को अनुमति) विनियम, 2006" विहित किए गए हैं।

इन विनियमों के तहत 09.11.03 से पूर्व स्थापित महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अन्तर्गत अनुमति हेतु 09.11.06 तक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

परिषद् द्वारा स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न पाठ्यक्रम पहले से ही विहित किए जा चुके हैं। परिषद् द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण एवं पाठ्यविधि सहित शिक्षा के न्यूनतम मानक भी विहित किए गए हैं :

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
आयुर्वेद	
आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	५-१/२ वर्ष
आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी. (आयुर्वेद)	३ वर्ष
आयुर्वेद धन्वन्तरि एम.एस. (आयुर्वेद)	३ वर्ष

यूनानी तिब्ब

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसन एण्ड सर्जरी)	५-१/२ वर्ष
माहिर-ए-तिब्ब-एम.डी. (यूनानी)	३ वर्ष
माहिर-ए-जराहत एम.एस. (यूनानी)	३ वर्ष

सिद्ध

सिद्ध मरुत्वा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडीसन एण्ड सर्जरी)	५-१/२ वर्ष
सिद्ध मरुत्वा पेरिग्नर- एम.डी. (सिद्ध)	३ वर्ष

केन्द्रीय परिषद् देश की शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध स्तरों की सही जानकारी के सत्यापन हेतु इन महाविद्यालयों में सदस्यों का दल भेजती है। ये दल वास्तविक स्थिति तथा कमियों का इंगित करते हुए प्रपत्रानुसार परिषद् को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इन प्रतिवेदनों पर परिषद् में विभिन्न स्तरों पर ध्यानपूर्वक विचार होता है और संस्थान में उपलब्ध सभी सुविधाओं के अनुरूप छात्रों की निश्चित संख्या में प्रवेश अथवा न्यूनतम स्तरों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवेश अनुमति न देने हेतु भी निर्णय लिया जाता है। साथ ही संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि परिदर्शन दल द्वारा इंगित कमियों का निश्चित अवधि में पूरा कर लें। ऐसे कड़े निर्देशों के परिणामस्वरूप शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से सुधर रहा है।

चालू वर्ष में परिदर्शन कार्यक्रम को अधिक सशक्त रूप से चलाया गया और शिक्षण और क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए आयुर्वेद के २२६ यूनानी के २४ एवं सिद्ध के ०७ महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

केन्द्रीय परिषद् ने प्रस्ताव पारित किया कि भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी के चिकित्साभ्यासियों जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित अर्हता धारक हैं को पी.एन.डी.टी. अधिनियम की पंजीकृत चिकित्साभ्यासी की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने शिक्षण स्टाफ में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध कॉलेजों के शिक्षण स्टाफ को पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया है कि प्रवेश के लिए तिथि को बढ़ाने (विस्तारित करने) पर छात्रों के शिक्षण और प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है, यह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा विहित विनियमों का भी उल्लंघन है। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को सूचित किया जाए कि आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.), कामिल-ए-तिब्-ओ-जराहत (बी.यू.एम.एस.) तथा सिद्ध मरुथुवा अरिम्नार (बी.एस.एम.एस.) के प्रथम व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया को ३१ अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए। किसी भी प्रकार से तिथि को आगे न बढ़ाया जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निवेदन किया जाय कि उपाधियों की मान्यता प्राप्त सूची में बी.ए.एम.एस. एम.डी. (आयुर्वेद) और बी.एस.एम.एस. और एम.डी. (सिद्ध) के समान बी.यू.एम.एस. और एम.डी. (यूनानी) की उपाधियों की नामावली को भी शामिल किया जाए।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

वर्ष के दौरान निम्न राज्यों की केन्द्रीय पंजिका को तैयार किया गया तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अवधि
1.	पंजाब	जनवरी १९६६ से फरवरी २००६
2.	उत्तराखण्ड	प्रारम्भ से मार्च २००७
3.	गुजरात	१ जनवरी २००० से ३१ मार्च २००५
4.	छत्तीसगढ़	१ अप्रैल २००२ से ३१ दिसम्बर २००६
5.	राजस्थान	जनवरी २००२ से ३१ दिसम्बर २००६
6.	असम	३१ जनवरी २००६ से ७ अगस्त २००६

प्रशासनिक प्रतिवेदन
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

वर्तमान केन्द्रीय परिषद् के दिनांक 31 मार्च 2008 के अनुसार निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | 22. डा. रामनाथन देवराज अय्यर |
| 2. डा. जयप्रकाश नारायण | 23. डा. रणवीर सिंह परिहार |
| 3. प्रो. कुलवन्त सिंह | 24. डा. राजेश शुक्ला |
| 4. डा. शिवानन्दम् | 25. डा. एन.वी. सालारकर |
| 5. डा. प्रमोद कुमार जैन | 26. वैद्य जगजीत सिंह |
| 6. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी | 27. डा. मुकेश वालिया |
| 7. डा. निरंजन सिंह त्यागी | 28. डा. पी. नारायणन |
| 8. डा. बी.के.जयसिंह | 29. डा. हरीराम भदौरिया |
| 9. डा. मेरी वमन रेड्डी | 30. डा. कमलेश कुमार वर्मा |
| 10. डा. गजेन्द्र भराली | 31. डा. आनन्द वर्धन द्विवेदी |
| 11. डा. देवव्रत नारायण सिंह | 32. डा. सुरेश चन्द्र गुप्ता |
| 12. डा. इन्द्रमोहन झा | 33. डा. महेन्द्र कुमार शर्मा |
| 13. डा. अलखनारायण सिंह | 34. डा. वी.वी.चिकारा |
| 14. डा. ओम प्रकाश वशिष्ठ | 35. डा. अमिताभ कुमार |
| 15. डा. सुखदेव सिंह वशिष्या | 36. डा. मनोज कुमार दूबे |
| 16. डा. कृष्ण चन्द्र शर्मा | 37. डा. ए.वी. जोशी |
| 17. डा. बिमला चौधरी | 38. डा. महेश चन्द्र शर्मा |
| 18. डा. रूप लाल शर्मा | 39. डा. जयराम यादव |
| 19. डा. अशोक कुमार शर्मा | 40. डा. एस. माधवन |
| 20. डा. के.चन्द्रशेखर बलाल | 41. डा. बनवारी लाल गौड़ |
| 21. डा. के. अनिल कुमार | 42. डा. एस.एस. सावरकर |

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 43. डा. पूजा भारद्वाज | 50. डा. ज्ञानकुमार आहूजा |
| 44. डा. स्वप्न कुमार भूनिया | 51. डा. किशन विठ्ठलदास शाह |
| 45. डा. के.जी. चन्द्रप्या | 52. डा. रमेश कृष्ण देशमुख |
| 46. डा. एम. मोहन अल्वा | 53. डा. शेषाद्री |
| 47. डा. एम.एम. जुमले | 54. डा. वासुदेवन नाम्बूद्री |
| 48. डा. युवराज कुमार त्यागी | 55. डा. पी. राम मनोहर |
| 49. डा. सतीश दत्त गर्ग | 56. डा. बटुक शंकर जोशी |

सिद्ध

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 57. डा. वी. स्टेनले जोन्स | 59. डा. वी. अरुणाचलम |
| 58. डा. एस. भूपतिराज | 60. डा. सेल्लामुथु |

यूनानी

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 61. प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह | 70. डा. मोहम्मद अख्तर मसूद सिद्धकी |
| 62. प्रो. अब्दुल मोबिन खान | 71. हकीम शमीम अहमद सईदी |
| 63. हकीम. सऊद अली खान | 72. डा. कमरुजमा |
| 64. डा. अबू बकर खान | 73. हकीम सैयद फैजान अहमद |
| 65. डा. बशीर अहमद | 74. डा. काजी रजिउद्दीन अहमद |
| 66. डा. रशीद उल्ला खान | 75. डा.एम.ए. जाफरी |
| 67. डा. मदन सिंह जाखड़ | 76. डा. मोहम्मद खालिद सिद्धीकी |
| 68. डा. महमूद अली | 77. डा. आलिया अमान |
| 69. डा. एस. जियाउद्दीन | |

समितियां

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9(1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं यथा :-

- (1) आयुर्वेद समिति
- (2) सिद्ध समिति
- (3) यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित/मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त है ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 उपधारा (2) के प्रावधानानुसार अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है ।

भारत सरकार के निर्देश पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यूनानी का चुनाव दिनांक 06.06.2007 को सम्पन्न हुआ। वैद्य रघुनन्दन शर्मा, अध्यक्ष, भा.चि.के.प. एवं प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह, उपाध्यक्ष यूनानी चुने गए थे ।

परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. अध्यक्ष | - वैद्य रघुनन्दन शर्मा |
| 2. उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) | - डा. जयप्रकाश नारायण |
| 3. उपाध्यक्ष (सिद्ध) | - डा. वी. स्टेनले जोन्स |
| 4. उपाध्यक्ष (यूनानी तिब्ब) | - प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह |

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचों में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

(सामान्य) विनियम, 1976 की धारा 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है । समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तीनों पद्धतियों के सदस्य सम्मिलित हैं ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | सभापति |
| 2. डा. जयप्रकाश नारायण | सदस्य (पदेन) |
| 3. प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह | सदस्य (पदेन) |
| 4. डा. वी. स्टेनले जोन्स | सदस्य (पदेन) |
| 5. डा. वी. अरुणाचलम | सदस्य |
| 6. डा. शिवानन्दम | सदस्य |
| 7. डा. प्रमोद कुमार जैन | सदस्य |
| 8. प्रो. अब्दुल मोबिन खान | सदस्य |
| 9. डा. मोहम्मद खालिद सिद्धीकी | सदस्य |
| 10. वैद्य वेद प्रकाश त्यागी | सदस्य |
| 11. डा. निरंजन सिंह त्यागी | सदस्य |

परिषद् एवं समितियों की बैठक

वर्ष 2007-2008 के दौरान निम्न बैठकें हुईं :-

1. दिनांक 13.08.2007 को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत के विशिखानुप्रवेश पर उप-समिति की बैठक
2. दिनांक 06.05.2007 को 19वीं पंचवर्षीय योजना पर उप-समिति की बैठक
3. दिनांक 06.05.2007 को स्टैंडिंग ओर्डर के लिए उप-समिति की बैठक
4. दिनांक 10.05.2007 को कार्यकारिणी समिति की बैठक
5. दिनांक 19.05.2007 को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत के विशिखानुप्रवेश पर उप-समिति की बैठक
6. दिनांक 29.05.2007 को यूनानी समिति की बैठक
7. दिनांक 06.06.2007 को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव

8. दिनांक १६.०६.२००७ को शिक्षा समिति (सिद्ध) की बैठक
9. दिनांक १६.०७.२००७ को कार्यकारिणी समिति की बैठक
10. दिनांक १६.०८.२००७ को शिक्षा समिति (आयुर्वेद) की बैठक
11. दिनांक १६.०८.२००७ को यूनानी समिति की बैठक
12. दिनांक १६.०८.२००७ को सिद्ध समिति की बैठक
13. दिनांक १७.०८.२००७ को आयुर्वेद समिति की बैठक
14. दिनांक १८.०८.२००७ को कार्यकारिणी समिति की बैठक
15. दिनांक १८.०८.२००७ को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की बैठक
16. दिनांक २८-२६.०८.२००७ को यूनानी तिब्ब के स्नातकोत्तर विनियम को तैयार करने हेतु उप-समिति की बैठक
17. दिनांक १०.०६.२००७ को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के विशिखानुप्रवेश विनियम को तैयार करने हेतु उप-समिति की बैठक
18. दिनांक ०५.१०.२००७ को कार्यकारिणी समिति की बैठक
19. दिनांक १६.१०.२००७ को आचार एवं संहिता की रूपरेखा तैयार करने हेतु उप-समिति की बैठक
20. दिनांक १६ एवं २० दिसम्बर २००७ को प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार, निदेशक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अध्यक्ष/रजिस्ट्रार बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति, भोपाल से रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित विचार-विमर्श करने हेतु समिति की बैठक
21. दिनांक १३.११.२००७ को आचार एवं संहिता की रूपरेखा तैयार करने हेतु उप-समिति की बैठक
22. दिनांक २२.०१.२००८ को कार्यकारिणी समिति की बैठक
23. दिनांक २३.०२.२००८ को आयुर्वेद समिति की बैठक
24. दिनांक २३.०२.२००८ को यूनानी समिति की बैठक
25. दिनांक २३.०२.२००८ को सिद्ध समिति की बैठक
26. दिनांक २४ एवं २५.०२.२००८ को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की बैठक
27. दिनांक २४.०२.२००८ को कार्यकारिणी समिति की बैठक
28. दिनांक १५.०३.२००८ को आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध का विश्व दिवस को अन्तिम रूप देने हेतु उप-समिति की बैठक

विशेषज्ञों की बैठक

1. दिनांक २६-३०.११.२००७ को आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
2. दिनांक ०६-०७.१२.२००७ को आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
3. दिनांक १६-२०.१२.२००७ को आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
4. दिनांक २८-२६.१२.२००७ को आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
5. दिनांक ०८-०६.१.२००८ को सिद्ध मरुत्वा अरिग्नार पाठ्यक्रम (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एवं सर्जरी) को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
6. दिनांक ३०-३१.१.२००८ को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम (तशरीहुल बदन, मुनाफे-उल-अजा, हिफजाने-सेहत एवं इमुस समूह विभाग) को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
7. दिनांक ०४-०५.०२.२००८ को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम इल्मुल अदविया-I (कुल्लियात एवं मुफ़दात) एवं इल्मुल अदविया II (मुक्कबात एवं सैदला) को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
8. दिनांक ०४.०२.२००८ को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम (अरबिक, मन्तीक-ओ-फलसफ़ा-वा-हैयत एवं तारिख ए-तिब विभाग) को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
9. दिनांक ११-१२.०२.२००८ को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम (उमूरे तबिया कुल्लियात, ऐन-उज्ज, अनफ, हलाक-वा-असनन एवं इल्मुल अमराज एवं शरीरियात विभाग) को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक
10. दिनांक १८-१६.०२.२००८ को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम (जराहत, इल्मुल कबालत, मुआलिजात-I एवं मुआलिजात-II विभाग) को अनुवाद करने हेतु विशेषज्ञों/सदस्यों की बैठक

आयुर्वेद

अनुशासनों के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं :-

केन्द्रीय परिषद ने आयुर्वेद समिति की निम्नलिखित संस्तुतियों को सहमति दी :-

i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसिस, नासिक को ए.टी.के.टी. को अपनाने के लिए अंतिम चेतावनी दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा इसे अपनाया नहीं गया। केन्द्रीय परिषद को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा २१ के अनुसार भारत सरकार को इसकी उपाधि की मान्यता को समाप्त करने हेतु संस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

ii) आयुर्वेद समिति ने यह भी सहमति दी कि ए.टी.के.टी. को अपनाने के लिए विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों तथा विनियमों को अनुवीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए, इसे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसिस से शुरू करना चाहिए।

कई बार अनुरोध करने के बावजूद आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी. आयुर्वेद में एम.बी.बी.एस. उपाधि धारकों को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश दिए जाने के विषय को केन्द्रीय परिषद ने बहुत गंभीरता से लिया तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की धारा १४ उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में आयुर्वेद की निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष २००७-२००८ के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया :-

विश्वविद्यालय/बोर्ड/मेडीकल संस्था का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम	पंजीयन के लिए संक्षिप्त नाम	टिप्पणी
भाग-1 आयुर्वेद			
१. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	बैचलर आफ दी सिस्टम आयुर्वेद मेडिसिन	बी.एस.ए.एम.	१९६७ से १९८२
	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	१९७५ से १९६६
	डाक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेद वाचस्पति	डी.आयु.एम.	१९७५ से १९६६
	डाक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेद	एम.डी. (आयुर्वेद)	१९७६ से २०००
महात्मा गान्धी चित्रकूट विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	१९६६ से १९६६

नए महाविद्यालयों को अनुमति

नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ के प्रावधानानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग से नया महाविद्यालय खोलने के लिए विभिन्न संगठनों से लगभग १६ प्रस्ताव, आयुर्वेद के विद्यमान स्नातकीय महाविद्यालयों से प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए १० प्रस्ताव एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए १४ प्रस्ताव प्राप्त हुए। केन्द्रीय परिषद् ने इन प्रस्तावों की जाँच करने के पश्चात् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार को अनुशासनां भेजने से पूर्व स्कीम की जाँच के लिए १६ नए आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए १० तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले १४ महाविद्यालय का परिदर्शन किया गया।

प्रकरण पर केन्द्रीय परिषद् की अनुशासनां भारत सरकार को भेज दी गयी थी।

महाविद्यालयों का परिदर्शन

केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए निर्धारित आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु न्यूनतम मानकों के अनुरूप महाविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन तथा अनुपालन का सत्यापन करने के उद्देश्य से निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया। विवरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
	आन्ध्र प्रदेश		
१.	वाग्देवी आयुर्वेद महाविद्यालय, वारंगल	२५ एवं २६.०६.०७ एवं ०४.०२.०८	स्नातकीय
२.	एम.एन.आर. आयुर्वेद महाविद्यालय, मेडक	३० एवं ३१.०७.०७ एवं ०२.०२.०८	स्नातकीय
३.	श्री वागेश्वरी आयुर्वेद महाविद्यालय, करीमनगर	०१ एवं ०२.०८.०७	स्नातकीय
४.	डा. बी.आर.के.आर. आयुर्वेद महाविद्यालय, हैदराबाद	०८.०८.०७/१२.०३. ०८ एवं २०.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
५.	अनन्था लक्ष्मी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वारंगल	११.०३.२००८	स्नातकीय
६.	डा. एनआर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, विजयवाड़ा	१०.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
	असम		
७.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, गोवाहटी	०७.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
	बिहार		
८.	रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय, मोतीहारी	३०.०१.२००८	स्नातकीय
९.	राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगुसराय	१६.०३.२००८	स्नातकीय
१०.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटना	१३.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
११.	आयुर्वेद महाविद्यालय, गया	११.०३.२००८	स्नातकीय

१२.	दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, सीवान	१५.०३.२००८	स्नातकीय
१३.	श्री मोतीसिंह जागेश्वरी आयुर्वेद महाविद्यालय, छपरा	१७.०३.२००८	स्नातकीय
१४.	स्वामी राघवेन्द्रचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद महाविद्यालय, करजरा, गया	१०.०३.२००८	स्नातकीय
१५.	नीतिश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	३१.०१.२००८	स्नातकीय
	चण्डीगढ़		
१६.	श्री धन्वतरि आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, चण्डीगढ़	०४.०२.०८	स्नातकीय
	छत्तीसगढ़		
१७.	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय, राजनन्दगाँव, छत्तीसगढ़	२२ एवं २३.०६.०७	स्नातकीय
१८.	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर	१२.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१९.	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग	११.०२.०८	स्नातकीय
	गुजरात		
२०.	गोविन्द भाई जोराभाई पटेल आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय आनन्द	२० एवं २१.०६.०७	स्नातकीय
२१.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, नाडियाड	१४.०३.२००८	स्नातकीय
२२.	पारुल आयुर्वेद संस्थान, लिमडा वडोदरा,	१८ एवं १९.०६.०७	स्नातकीय
२३.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बदैडा	०७.०३.२००८	स्नातकीय
२४.	आर्यकन्या शुधा आयुर्वेद महाविद्यालय, बदैडा	०८.०३.२००८	स्नातकीय
२५.	राजकीय अखण्डानंद आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदाबाद	०३.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
२६.	श्री ओ.एच. नाजर आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत	०४.०३.२००८	स्नातकीय
२७.	सेठ जे.पी. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, भावनगर	१५.०३.२००८	स्नातकीय
	हिमाचल प्रदेश		
२८.	राजीव गाँधी राजकीय आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,	१४.०३.२००८	स्नातकीय एवं

	पपरोला गोवा		स्नातकोत्तर
२६.	भारतीय संस्कृत प्रबोधिनी गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय, शिरोदा साउथ गोवा	०३.०३.२००८	स्नातकीय
	हरियाणा		
३०.	श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, रोहतक	०१.०८.०७ एवं २७.०२.२००८	स्नातकीय
३१.	गौड़ ब्रह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय, रोहतक	२६.०२.२००८	स्नातकीय
३२.	मुरारीलाल रासीवसिया आयुर्वेद महाविद्यालय, चरखी दादरी	२१.०२.२००८	स्नातकीय
३३.	चौधरी देवीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय, जगाधरी	२२.०२.२००८	स्नातकीय
३४.	श्रीकृष्ण राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	२४.०३.२००८	स्नातकीय
३५.	श्री मारू सिंह मैमोरियल महिला आयुर्वेद डिग्री कालेज, खानपुर कलान, सोनीपत	२८.०२.२००८	स्नातकीय
	जम्मू व कश्मीर		
३६.	जम्मू इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेद एवं रिसर्च, जम्मू तवी	०२.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
	झारखण्ड		
३७.	सन्त विनोबा आयुर्वेद मेडिकल कालेज, चत्रा	२६.०१.०८	स्नातकीय
३८.	सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अस्पताल रांची	१७.०३.२००८	स्नातकीय
	केरल		
३९.	अमृता आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, जिला कोल्लम	२७.०६.०७	स्नातकीय
४०.	श्री नारायण आयुर्वेद संस्थान एवं अनुसन्धान, पुथुर, जिला कोल्लम	२३ एवं २४.०६.०७	स्नातकीय
४१.	के.एम.सी.टी. आयुर्वेद महाविद्यालय, कोझिकोडे	२७ एवं २८.०६.०७	स्नातकीय
४२.	मन्नम आयुर्वेद महाविद्यालय, पण्डलम	२६ एवं ३०.०६.०७	स्नातकीय
४३.	पी.एन. पाणिगर सौहार्द आयुर्वेद महाविद्यालय, कसारगोड, केरल	०२ एवं ०३.०८.०७ एवं २८.०१.०८	स्नातकीय

४४.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कन्नूर	०६.०८.०७ एवं १८.०३.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
४५.	वैद्यरत्नम पी.एस. वरियर आयुर्वेद महाविद्यालय, कोट्टकल इडारीकोडे	०८.०८.०७ एवं १३.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
४६.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिपुनीथुरा	०७.०८.०७ एवं १४.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
४७.	पर्यासियनिकन्द्रवु आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नूर	१७.०३.२००८	स्नातकीय
४८.	नानगोलिल आयुर्वेद महाविद्यालय इरनाकुल्लम,	२६.०३.२००८	स्नातकीय
४९.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कालेज, औलूर त्रिचुर	२७.०३.२००८	स्नातकीय
५०.	सान्थीगिरी आयुर्वेद महाविद्यालय, पलक्कड	०१.०३.२००८	स्नातकीय
५१.	विष्णु आयुर्वेद महाविद्यालय, शोरानूर	०३.०३.२००८	स्नातकीय
५२.	पंकज कस्तूरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, तिरुवन्यापुरम	२७.०३.२००८	स्नातकीय
५३.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरुवन्यापुरम	१५.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
५४.	पी.एन.एम.एन.आयुर्वेद मेडिकल कालेज, शोरानूर	२५.एवं २६.०६.०७	स्नातकीय
	कर्नाटक		
५५.	तारानाथ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बेल्लारी	३१.०१.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
५६.	श्री सिद्धी विनायक रुशल आयुर्वेद, मेडिकल कालेज, हरुगेरी	१७.०२.०८	स्नातकीय
५७.	श्री श्री आयुर्वेद विज्ञान एवं अनुसंधान बंगलौर	२३ एवं २४.०६.०७	स्नातकीय
५८.	के.पी.एस.वी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, मानवी	१६.०२.०८	स्नातकीय
५९.	बापूजी आयुर्वेद महाविद्यालय, शिमोगा	२६.०६.०७ एवं ०४.०२.०८	स्नातकीय
६०.	अत्रेय आयुर्वेद महाविद्यालय, बंगलौर	२७ एवं २८.०६.०७	स्नातकीय
६१.	अश्विन आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र तुमकुर	२५ एवं २६.०६.०७	स्नातकीय

६२.	सी.बी. गुटटल आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अस्पताल धारवाड़	२७ एवं २८.०६.०७	स्नातकीय
६३.	एस.डी.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, टरडल	०४ एवं ०५.०७.०७	स्नातकीय
६४.	श्री राघवेन्द्र आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चित्रदुर्ग	०२ एवं ०३.०७.०७	स्नातकीय
६५.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बंगलौर	०३.०८.०७ एवं १६.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
६६.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेद महाविद्यालय, इल्कल	०६.०८.०७ एवं १५.०२.०८	स्नातकीय
६७.	श्री विद्यासागर आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम	३० एवं ३१.०७.०७	स्नातकीय
६८.	श्री जे.जी.को.आपरेटिव अस्पताल आयुर्वेद महाविद्यालय, घटप्रभा	०४.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
६९.	श्री वीरुपलकेशी विद्यावर्धक समस्त रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अनुसन्धन केन्द्र, बदामी	०६.०२.२००८	स्नातकीय
७०.	श्री कालीदास आयुर्वेद महाविद्यालय, बादामी	०७.०२.२००८	स्नातकीय
७१.	मुनियाल आयुर्वेद विज्ञान संस्थान मनिपाल	०६.०२.२००८	स्नातकीय
७२.	श्री डी.जी.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, गडग	१६.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
७३.	ए.एल.एन.राव मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा	२०.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
७४.	टी.ए.एम.ई. सोसायटी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, होसपेट	१४.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
७५.	धन्वन्तरि आयुर्वेद कालेज व अस्पताल सिद्धपुर	०५.०२.२००८	स्नातकीय
७६.	एन.के. जाबशेट्टी सिद्धरुध मठ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, बिदर	१२.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
७७.	एस.एस. आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, हावेरी	१८.०२.२००८	स्नातकीय
७८.	बापूजी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, शिमोगा	०४.०२.०८	स्नातकीय
७९.	श्री बाहुबली आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, टरडल	०८.०२.२००८	स्नातकीय
८०.	महागणपति आयुर्वेद महाविद्यालय, धारवाड़	१३.०२.२००८	स्नातकीय

८१.	तालुका शिक्षण आयुर्वेद महाविद्यालय, सिन्धगी बीजापुर	०१.०२.२००८	स्नातकीय
८२.	के.बी. सोसायटी रुरल आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, बेलगाम	०५.०२.२००८	स्नातकीय
८३.	आयुर्वेद महाविद्यालय, ओल्ड हुबली	२६.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
८४.	के.एल.इ.सोसायटी श्री बी.एम. कनकनवाडी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम	२८.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
८५.	ए.वी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, बीजापुर	२७.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
८६.	श्री जगद्गुरु गवी सिद्धेश्वर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, कोप्पल	२७.०२.२००८	स्नातकीय
८७.	सुश्रुत आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, बंगलौर	२८.०२.२००८	स्नातकीय
८८.	डा. बी.एन.एम. रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अस्पताल बीजापुर	२६.०२.२००८	स्नातकीय
८९.	एस.जी.वी. आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलहोंगल	०४.०३.२००८	स्नातकीय
९०.	वासवेश्वर विद्या वर्धक संघ आयुर्वेद महाविद्यालय, बगलकोट	३१.०१.२००८	स्नातकीय
९१.	श्री हिंगुलम्बिका शिक्षा सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, गुलबर्गा	३०.०१.२००८	स्नातकीय
९२.	श्री शिव योगेश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्चल	०७.०२.२००८	स्नातकीय
९३.	कर्नाटक आयुर्वेद महाविद्यालय, के.ई.सी.टी., मंगलौर	०६.०२.२००८	स्नातकीय
९४.	के.वी.जी. आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अस्पताल सुलिया	०७.०२.२००८	स्नातकीय
९५.	टी.एम.ए.ई. आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, भद्रावती	१२.०२.२००८	स्नातकीय
९६.	श्री कालभैरेश्वर स्वामी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, बंगलौर	०६.०२.२००८	स्नातकीय
९७.	राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, रोण	१४.०२.२००८	स्नातकीय
९८.	बापूजी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चल्लाकेरे	१६.०२.२००८	स्नातकीय
९९.	अमरुशा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चित्रदुर्ग	१८.०२.२००८	स्नातकीय

900.	भगवान महावीर जैन आयुर्वेद महाविद्यालय, गजेन्द्रगढ	१५.०२.२००८	स्नातकीय
909.	अश्विनी एजुकेशनल एसोशियेशन आयुर्वेद महाविद्यालय, दावनगेरे	२०.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
90२.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मैसूर	०८.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
90३.	जे.एस.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, मैसूर	०६.०२.२००८	स्नातकीय
90४.	एस.डी.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, हसन	०७.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
90५.	एस.डी.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, उडुपी	०६.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
90६.	भारतीय इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल एवं रिसर्च, बंगलौर	०८.०२.२००८	स्नातकीय
	महाराष्ट्र		
90७.	सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर	२५,२६.०७.०७ एवं ०६.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
90८.	जे.जे. मगदम आयुर्वेद महाविद्यालय, जयसिंहपुर	२५-२६.०६.०७ एवं ०५.०२.०८	स्नातकीय
90९.	रुरल इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद एवं अनुसन्धान केन्द्र, अस्पताल मयानी	२२ एवं २३.०६.०७	स्नातकीय
9१०.	भारती विद्यापीठ आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	२३-२४.०६.०७ एवं ०५.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9११.	डा. डी.वाई. पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, नारूर, नवी मुंबई	२१ एवं २२.०६.०७	स्नातकीय
9१२.	येरला चिकित्सा ट्रस्ट और आयुर्वेद महाविद्यालय, मुंबई	३०-३१.०७.०७ एवं २४.०१.०८	स्नातकीय
9१३.	अल अमीन चिकित्सा महाविद्यालय, मालेगाँव	२७ एवं २८.०७.०७	स्नातकीय
9१४.	कुसुमभाई राजरामभाई पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय, चिप्टुने, रत्नागिरी	२७ एवं २८.०७.०७	स्नातक

9१५.	श्री विवेकानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, राहुरी	३०-३१.०७.०७ एवं ०६.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9१६.	अन्ना साहेब डांगे आयुर्वेद महाविद्यालय, सांगली	०४- ०५.०८.०७ एवं १२.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9१७.	पवन राजा आयुर्वेद महाविद्यालय, भंडारा, पौनी	०३-०४.०८.०७	स्नातकीय
9१८.	अश्विन रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, मांची हिल, संगमनेर	२७-२८.०७.०७ एवं १६.०२.०८	स्नातकीय
9१९.	श्री उत्तम रावजी धाके आयुर्वेद महाविद्यालय, वाशिम	२७-२८.०७.०७ एवं ०४.०२.०८	स्नातकीय
9२०.	मंजारा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, लातूर	३०.०१.२००८	स्नातकीय
9२१.	धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय; उदगीर लातूर	१०.०८.०७ एवं २६.०१.०८	स्नातकीय
9२२.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नान्देड	३१.०१.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9२३.	यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडोली	०४.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9२४.	रामाराव पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय, परभनी	०१.०२.२००८	स्नातकीय
9२५.	गंगा एजुकेशनल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोल्हापुर	०८.०२.२००८	स्नातकीय
9२६.	नालासोपारा आयुर्वेद महाविद्यालय, मुंबई	०६.०२.२००८	स्नातकीय
9२७.	ए.एस.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक	०८.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9२८.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद	०६.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9२९.	भारतीय संस्कृति दर्शन आयुर्वेद महाविद्यालय वाघोली	२०.०२.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
9३०.	सेठ चन्दनमल मुथा आयुर्वेद महाविद्यालय, सतारा	१५.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर

१३१.	ले. सुनील रामसिंहजी चूनावाले आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चिखली, बुल्डाना	०८.०२.२००८	स्नातकीय
१३२.	सुमतिभाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय, हडपसर.	१८.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१३३.	स्व. केदारी रेडकर आयुर्वेद महाविद्यालय, कोल्हापुर	११.०२.२००८	स्नातकीय
१३४.	ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातुर,	०५.०३.२००८	स्नातकीय
१३५.	श्री सप्तश्रृंगी आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक	०७.०३.२००८	स्नातकीय
१३६.	आयुर्वेद महाविद्यालय, पुसद	०७.०२.२००८	स्नातकीय
१३७.	सेठ गोविन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय, सोलापुर	०७.०३.२००८	स्नातकीय
१३८.	डी.एम.एम.आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमल	०७.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१३९.	आर.टी. आयुर्वेद महाविद्यालय, अकोला	०६.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१४०.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, मोजरी, अमरावती	०४.०३.२००८	स्नातकीय
१४१.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती	०५.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१४२.	डी.वाई. पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय, पिम्परी	०८.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१४३.	श्रीमती कमलादेवी गौरीदत्त मित्तल पुर्नवसु आयुर्वेद महाविद्यालय, मुम्बई	१५.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१४४.	आर.जे.वी.एस. भाईसाहेब सावन्त आयुर्वेद महाविद्यालय सावन्तवाडी	०५.०३.२००८	स्नातकीय
१४५.	के.वी.टी.आर. आयुर्वेद महाविद्यालय, बोराडी धूले	१४.०२.२००८	स्नातकीय
१४६.	आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चालीसगाँव	१३.०२.२००८	स्नातकीय
१४७.	भाऊसाहेब मुलक आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर	०५.०२.०८	स्नातकीय
१४८.	श्रीमती के.सी. अंजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालय, धूले	१५.०२.२००८	स्नातकीय
१४९.	दादा साहेब आयुर्वेद महाविद्यालय, धूले	१६.०२.२००८	स्नातकीय
१५०.	महादेवराव शिवांकर आयुर्वेद महाविद्यालय, गोन्दिया	०६.०२.२००८	स्नातकीय

१५१.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर	०६.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१५२.	जूपिटर आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर	०७.०२.२००८	स्नातकीय
१५३.	चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय, भुसावळ	१७.०२.२००८	स्नातकीय
१५४.	कालेज ऑफ आयुर्वेद एवं अनुसन्धान केन्द्र अकृष्ठी	१६.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१५५.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर	०८.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१५६.	संगम सेवाभावी आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर	०७.०२.२००८	स्नातकीय
१५७.	हनुमान शिक्षण आयुर्वेद महाविद्यालय, वडगाँव	०६.०२.२००८	स्नातकीय
१५८.	लोकनेते राजारामबापू आयुर्वेद महाविद्यालय इस्लामपुर, सांगली	१३.०२.२००८	स्नातकीय
१५९.	वसन्त दादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय, सांगली	१४.०२.२००८	स्नातकीय
१६०.	आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन	१४.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१६१.	छत्रपति साहू महाराज शिक्षण संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय औरंगाबाद	२५-२६.०७.०७ एवं १६.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१६२.	पदमश्री विट्ठल राव विखे आयुर्वेद महाविद्यालय, शेवगाँव	१३.०२.२००८	स्नातकीय
१६३.	गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदनगर	१६.०२.२००८	स्नातकीय
१६४.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	१८.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१६५.	आर.ए. पोदार आयुर्वेद महाविद्यालय, मुम्बई	०७.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
मध्यप्रदेश			
१६६.	आजीवन स्वास्थ्य समर्था आयुर्वेद महाविद्यालय, मानवी चित्राकुट सतना	३१.०७.०७ एवं ०१.०८.०७	स्नातकीय

१६७.	राजकीय धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	०६.०८.०७ एवं २६.०३.०८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१६८.	आरोग्य संस्थान आफ आयुर्वेद अनुसन्धान, रिचवर्दी, इन्दौर	०८-०६.०८.०७ एवं १८.०२.०८	स्नातकीय
१६९.	सित्वर ओक आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	३१.०७.०७ एवं ०१.०८.०७	स्नातकीय
१७०.	ग्रन्थम आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, ग्वालियर	०२ एवं ०३.०८.०७	स्नातकीय
१७१.	ओम आयुर्वेद महाविद्यालय, बेतूल	१३.०२.२००८	स्नातकीय
१७२.	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	२८.०३.२००८	स्नातकीय
१७३.	महावीर आयुर्वेद महाविद्यालय, मन्दासौर	०४ एवं ०५.०८.०७	स्नातकीय
१७४.	राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	१३.०२.२००८	स्नातकीय
१७५.	पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	१६.०२.२००८	स्नातकीय
१७६.	वीणावादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	१५.०२.२००८	स्नातकीय
१७७.	रानी दुल्लैया आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	१४.०२.२००८	स्नातकीय
१७८.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा	१२.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१७९.	पं. शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, रतलाम	०६.०२.२००८	स्नातकीय
१८०.	शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	१०.०२.२००८	स्नातकीय
१८१.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर	३१.०३.२००८	स्नातकीय
१८२.	आचार्य ज्ञान आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	२६.०३.२००८	स्नातकीय
	उड़ीसा		
१८३.	श्री नरसिंहनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, पैकमल	११.०८.०७	स्नातकीय
१८४.	गोपबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी	१३.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१८५.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बोलनगीर	१७.०३.२००८	स्नातकीय

१८६.	कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय अंकुशपुर, गंजम	२६.०३.२००८	स्नातकीय
१८७.	इन्दिरा गांधी मैमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, भुवनेश्वर	१५.०३.२००८	स्नातकीय
	पंजाब		
१८८.	गुरु नानक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुक्तसर	३०.०७.०७ एवं २६.०१.०८	स्नातकीय
१८९.	माई भागो महिला आयुर्वेद महाविद्यालय, मुक्तसर	३१.०७.०७ एवं २८.०१.०८	स्नातकीय
१९०.	भाई कन्हैया एजुकेशन सोसायटी संजीवनी आयुर्वेद महाविद्यालय, खन्ना	१३.०८.०७	स्नातकीय
१९१.	दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, जालन्धर	२४.०१.२००८	स्नातकीय
१९२.	गुरु नानक आयुर्वेद महाविद्यालय, लुधियाना	२३.०१.२००८	स्नातकीय
१९३.	श्री लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद महाविद्यालय, अमृतसर	२५.०१.२००८	स्नातकीय
१९४.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटियाला	२५.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
१९५.	शहीद करतार सिंह सरभा आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अस्पताल लुधियाना	१८-१६.०६.०७ एवं १४.०२.२००८	स्नातकीय
१९६.	श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, एवं अस्पताल होशियारपुर	१४.०२.२००८	स्नातकीय
१९७.	बाबे के आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, मोगा	१२.०२.२००८	स्नातकीय
१९८.	देश भगत आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, मण्डी गोविन्दगढ़	१५-१६.०६.०७ एवं ०६.०२.२००८	स्नातकीय
१९९.	एस.एस.एम.डी. आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, मोगा	११.०२.२००८	स्नातकीय
	राजस्थान		
२००.	पंजाब आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	२१.०२.०८	स्नातकीय

२०१.	आयुर्वेद महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर	२६ एवं ३०.०६.०७	स्नातकीय
२०२.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	०६.०८.०७ एवं १८.०२.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
२०३.	जे.आर तंतिया आयुर्वेद महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	२५ एवं २६.०६.०७	स्नातकीय
२०४.	श्री भंवरलाल दूंगड़ आयुर्वेद महाविद्यालय, सरदार शहर	१६.०३.२००८	स्नातकीय
२०५.	श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय, राजस्थान	२०.०३.२००८	स्नातकीय
तमिलनाडु			
२०६.	आर. वी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, कोयम्बटूर	२७ एवं २८.०७.०७	स्नातकीय
२०७.	आयुर्वेद महाविद्यालय, कोयम्बटूर	१६.०३.२००८	स्नातकीय
२०८.	धर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, श्री पेरुम्बटूर	२०.०३.२००८	स्नातकीय
२०९.	श्री जयेन्द्र सरस्वती आयुर्वेद महाविद्यालय, एनाटुर	१६.०३.२००८	स्नातकीय
उत्तरांचल			
२१०.	हिमालय आयुर्वेद महाविद्यालय, देहरादून	०२ एवं ०३.०७.०७	स्नातकीय
२११.	उत्तरांचल आयुर्वेद महाविद्यालय, देहरादून	०८.०३.०८	स्नातकीय
उत्तरप्रदेश			
२१२.	मेजर एस.डी. सिंह आयुर्वेद महाविद्यालय, फर्रुखाबाद	२२ एवं २३.०६.०७	स्नातकीय
२१३.	जे.डी. आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अलीगढ़	२० एवं २१.०६.०७	स्नातकीय
२१४.	पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं संस्थान, हरिद्वार	२७ एवं २८.०७.०७	स्नातकीय
२१५.	यज्ञ दत्त आयुर्वेद महाविद्यालय खुर्जा	२६.०१.०८	स्नातकीय
२१६.	राजकीय ललितहरि आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत	१५.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
२१७.	एस.आर.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, बरेली	१७.०३.२००८	स्नातकीय
२१८.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ	२८.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
२१९.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी	२६.०३.२००८	स्नातकीय
२२०.	इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	२५.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
२२१.	शम्भे गोसिया आयुर्वेद महाविद्यालय, गाजीपुर	२८.०३.२००८	स्नातकीय

२२२.	श्री साई आयुर्वेद महाविद्यालय, अलीगढ़	१४.०३.२००८	स्नातकीय
२२३.	स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर	२८.०१.२००८	स्नातकीय
वेस्ट बंगाल			
२२४.	बेल्ली शंकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, फिंगपारा, २४ परगना	२६.०१.२००८	स्नातकीय
२२५.	स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संस्थान एवं अनुसन्धान श्यामदास वैद्य शास्त्र पीठ, कोलकाता	२७.०३.२००८	स्नातकोत्तर
२२६.	जे.बी. राय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, कोलकाता	२६.०३.२००८	स्नातकीय

यूनानी

अनुशंसाओं के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं :-

केन्द्रीय परिषद ने यूनानी समिति की संस्तुतियों को सहमति दी कि भारतीय चिकित्सा (संशोधित) विनियम, १९६५ में दिए गए शिक्षा के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद न्यूनतम मानको के अंतर्गत प्रदान किए गए प्री-तिब्ब पाठ्यक्रम को जारी रखा जाएगा ।

केन्द्रीय परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के प्रतिमानों को अपनाने तथा यूनानी महाविद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर ६५ वर्ष करने की यूनानी समिति की संस्तुतियों को सहमति दी ।

चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की धारा १४ उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में यूनानी की निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष २००७-२००८ के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया :-

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/बोर्ड/मेडीकल संस्था का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम	पंजीयन के लिए संक्षिप्त नाम	टिप्पणी
9.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	कामिल-ए-तिब-ओ-जराहत (बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.यू.एम.एस.	२००७ से आगे

केन्द्रीय परिषद् ने जामिया दारुस सलाम, मालेर कोटला (पंजाब) तथा जामिया-तुस-सलेहत, रामपुर (उ.प्र.) द्वारा प्रदान अर्हता फाजिल उर्दू, अरबी, पारसी, इस्लामियत तथा अल्लमा फाजिल को प्री-तिब्व पाठ्यक्रम के कामिल-ए-तिब्व-ओ-जराहत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्य प्राचीन अर्हताओं की सूची में शामिल करने की यूनानी समिति की संस्तुतियों पर सहमति दी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्री-तिब्व पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली संस्थाओं को "प्री-तिब्व और मुख्य बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में क्षमता के अनुसार प्रवेश देने की अनुमति लेनी चाहिए।

नए महाविद्यालयों के अनुमति

नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ के प्रावधानानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग से नया महाविद्यालय खोलने के लिए विभिन्न संगठनों से लगभग ०१ प्रस्ताव एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए ०२ प्रस्ताव प्राप्त हुए। केन्द्रीय परिषद् ने इन प्रस्तावों की जाँच करने के पश्चात् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजने से पूर्व स्कीम की जाँच के लिए ०१ नए यूनानी महाविद्यालय, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले ०२ महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

प्रकरण पर केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाएं भारत सरकार को भेज दी गयी थी।

महाविद्यालयों का परिदर्शन

केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए निर्धारित यूनानी तिब्व महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु न्यूनतम मानकों के अनुरूप महाविद्यालयों में शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन तथा अनुपालन का सत्यापन करने के उद्देश्य से निम्न यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया। विवरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
१.	राजकीय निजामिया तिब्विया महाविद्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	२७-२८.०२.२००८	स्नातकीय
२.	डा. अब्दुल हक यूनानी महाविद्यालय, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	२६.०२-०१.०३.२००८	स्नातकीय
३.	मोहसिन मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	०३-०४.०३.२००८	स्नातकीय
४.	जामिया तिब्विया देववन्द सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	०८.०३.२००८	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
५.	सेफिया हमीदिया यूनानी तिब्विया महाविद्यालय, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)	०४-०५.०३.२००८	स्नातकीय
६.	देववन्द यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, देववन्दजिला-सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	०७.०३.२००८	स्नातकीय
७.	एच.एम.एस.यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, टुमकुर (कर्नाटक)	११.०३.२००८	स्नातकीय
८.	लुकमान यूनानी महाविद्यालय, बीजापुर (कर्नाटक)	०८.०३.२००८	स्नातकीय
९.	टीपु सुल्तान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा (कर्नाटक)	१०.०३.२००८	स्नातकीय

90.	अल्लामा इकबाल यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	06.03.2007	स्नातकीय
99.	राजकीय तिब्बिया महाविद्यालय, पटना (बिहार)	29-27.02.2007	स्नातकीय
92.	निजामिया यूनानी महाविद्यालय जिला गया (बिहार)	26.02.2007 09.03.2007	स्नातकीय
93.	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)	90.03.2007	स्नातकीय
94.	शम्भू गौसिया माईनोरिटी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला- गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	95.03.2007	स्नातकीय
95.	जुलैखाबाई वली मोह.यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)	28.03.2007	स्नातकीय
96.	मौहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय, मालेगांव (महाराष्ट्र)	26.03.2007	स्नातकीय
97.	इकरा यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जलगाँव (महाराष्ट्र)	27.03.2007	स्नातकीय
98.	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	26.03.2007	स्नातकीय
96.	जुलिफकार हैदर यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, सीवान (बिहार)	28.03.2007	स्नातकीय
20.	इब्ने-सिना तिब्बिया महाविद्यालय, जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	99.03.2007	स्नातकीय
29.	अहमद गरीब यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अक्कल कुआँ (महाराष्ट्र)	39.03.2007	स्नातकीय
22.	एराम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	93-98.09.09	स्नातकीय
23.	राजकीय निजामिया तिब्बिया महाविद्यालय, हैदराबाद	7-6.09.09	स्नातकोत्तर
24.	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ यूनानी चिकित्सा, बंगलौर	6-9.07.09	स्नातकोत्तर

सिद्ध

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के विशेषज्ञों/सदस्यों की दिनांक 07 एवं 08.09.2007 को सिद्ध मास्करा अरिग्नार (बैचलर आफ सिद्ध मेडिसिन एवं सर्जरी) पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बैठक।

नए सिद्ध महाविद्यालयों को अनुमति

केन्द्रीय परिषद् ने योजना की जाँच करने के बाद आर.वी.एस. सिद्ध मेडिकल कालेज, सुलुर कोयम्बतूर (तमिलनाडु) में शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में 30 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति सम्बन्धी पत्र जारी करने सम्बन्धी संस्तुतियों को भारत सरकार को भेजने हेतु सहमति दी।

महाविद्यालयों का परिदर्शन

केन्द्रीय परिषद् द्वारा सिद्ध महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के उद्देश्य से निम्न सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन किया :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
1.	अकिला थिरुविथम्कोर सिद्ध वैद्य संगम, सिद्ध मेडिकल महाविद्यालय, मुन्चौरै,	26.03.2007	स्नातकीय
2.	सान्थीगिरी सिद्ध मेडिकल महाविद्यालय, थिरुवनन्थापुरम	29.03.2009	स्नातकीय
3.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई	97.03.2007	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
4.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलायमकोट्टई	25.03.2007	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर
5.	श्री साई राम सिद्ध मेडिकल महाविद्यालय, कंचीपुरम	96.03.2007	स्नातकीय
6.	वेल्लुमैलू सिद्ध मेडिकल महाविद्यालय, कांचीपुरम	99.03.2007	स्नातकीय

पंजीयन

केन्द्रीय परिषद ने कार्यकारिणी समिति की संस्तुतियों को सहमति दी कि विधिक स्थिति में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १७ (३) (क) और (ख) के अनुसार १९६७ से पूर्व आयुर्वेद रत्न तथा वैद्य विशारद योग्यता प्राप्त व्यक्तियों और ०१.१०.१९७६ या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों का नाम राज्य रजिस्टर से न हटाया जाए क्योंकि १७ (३) (क) और (ख) के अनुसार जिस राज्य में उनका पंजीकरण है उनके चिकित्साभ्यास के अधिकार की रक्षा करता है तथा यह राज्य से बाहर भारतीय चिकित्सा के अभ्यास करने की अनुमति नहीं देता। तदनुसार कार्यकारिणी समिति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्णय लिया गया।

पंजीकरण सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश सरकार, निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और अध्यक्ष/रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा बोर्ड के साथ एक बैठक १६-२० दिसम्बर, २००७ को सम्पन्न हुई।

वर्ष २००७-०८ के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के ६७ चिकित्साभ्यासियों को जिनके नाम भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में शामिल हैं, को नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति के ०२ चिकित्साभ्यासियों को सीधा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

प्रशासन एवं वित्त

परिषद् के कार्यालय के लिए पदों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	पदों की संख्या
१.	निबंधक एवं सचिव	क	०१
२.	सहायक निबंधक (आयुर्वेद)	क	०१
३.	सहायक निबंधक (यूनानी)	क	०१

४.	सहायक सचिव (पंजीयन)	क	०१
५.	सहायक सचिव (प्रशासन)	क	०१
६.	कार्यालय अधीक्षक	ख	०१
७.	लेखाकार	ख	०१
८.	हिन्दी अनुवादक	ग	०१
९.	कनिष्ठ आशुलिपिक	ग	०३
१०.	उच्च श्रेणी लिपिक	ग	०४
११.	निम्न श्रेणी लिपिक	ग	११
१२.	डुप्लीकेटिंग आपरेटर	ग	०१
१३.	दफ्तरी	घ	०२
१४.	चपरासी	घ	०६
		कुल	३५

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है जिसमें ३५ कर्मचारी हैं तथापि भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है।

१. अनुसूचित जाति ६
२. अनुसूचित जन जाति ३
३. अन्य पिछड़ा वर्ग २
४. शारीरिक रूप से विकलांग २

बजट के स्रोत

वर्ष २००७-२००८ के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन निम्न प्रकार है :-

		गैर-योजना (रु० लाखों में)	योजना (रु० लाखों में)
१.	बजट प्राक्कलन २००७-२००८ (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	२१५.००	१६.००
२.	बजट प्राक्कलन २००७-२००८ (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	५०.००	२०.००
३.	संशोधित प्राक्कलन २००७-२००८ (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	२६२.००	३०.००
४.	संशोधित प्राक्कलन २००७-२००८ (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	५०.००	१०.००
५.	अनुदान सहायता (मंत्रालय द्वारा विनिर्मुक्त)	५०.००	१८.६०

भविष्य के कार्यक्रम

१. भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना ।
२. कार्यशालाएं आयोजित कर आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध के स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विद्यमान पाठ्यविधि तथा पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा जारी रखना ।
३. भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव ।
४. भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार गोष्ठी आयोजित करना ।
५. इन पद्धतियों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन ।
६. भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों को नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करना ।
७. भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों का सीधा पंजीयन करना जहाँ राज्य पंजीयन बोर्ड/परिषद विद्यमान नहीं हैं ।
८. नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ के प्रावधानानुसार

आयुर्वेद, यूनानी वं सिद्ध महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना ।

६. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अन्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों के आवेदनों पर विचार करना ।
१०. भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यविवरणों का अनुवाद कार्य ।
११. आयुर्वेद की विभिन्न विशेषताओं (विषयों) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यविवरणों को तैयार करना ।

**कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली**

ए.एम.जी.िव/एस.ए.आर./सी.सी.आई.एम./2007-2008/1149

दिनांक :- 22.10.2008

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति श्री पी.आर. शर्मा, रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परि-द, 61-65, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है । प्रमाणित वार्षिक लेखे हिन्दी की 5 प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजी जाएं ।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए ।

हस्ता./-

निदेशक (ए.एम.जी।व)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा रिपोर्ट

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की 31 मार्च, 2008 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र का तथा समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखों/प्राप्तियों और भुगतान लेखों का परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य,शक्तियों, सेवा शर्तों) नियम 86 के अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत 1976 परिषद विनियम के नियम 86 के अन्तर्गत किया वित्तीय विवरण परिषद प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय-विवरण पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है ।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. ए.जी.) की वर्गीकरण, उत्तम लेखा प्रक्रिया सहित अनुपालन, लेखा-मानकों, प्रतिमानकों को प्रकट करना आदि पर लेखों का निरूपण है । कानून, नियमों विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) अनुपालन के और कार्यक्षमता-सह-नि-पादन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय कार्य सम्पादन पर लेखा प्रेक्षकों, यदि कोई हो तो, को निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा-रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट करना है ।

3. हमने अपना लेखा-परीक्षण सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप किया है । इन मानकों में आवश्यक है कि हम अपनी योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त कर लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तुपरक यथार्थ विवरण हो/लेखा परीक्षण में परीक्षण जॉच आधार पर, राशि की पुष्टि का प्रमाण तथा वित्तीय विवरण में प्रकट करना आदि शामिल हैं । लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा-सिद्धान्तों का मूल्यांकन तथा प्रबन्धकों द्वारा तैयार किया गया

वित्तीय विवरण के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा-परीक्षा में अपने विचारों के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया है।

4. अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर हमने रिपोर्ट किया है कि:

- i. हमें मांगी गई सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, जो कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, प्राप्त हुए।
 - ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखों/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत फॉर्मेट में तैयार किया गया है।
 - iii. हमारे विचार में लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा लेखों की पुस्तकों और अन्य सम्बन्धित रिकार्ड का सही तरीके से रख-रखाव किया गया है।
 - iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क. तुलन पत्र
 - i. देयताएं
 - i.i ग्रेव्यूटी और छुट्टी के बदले नकद भुगतान का कोई प्रावधान नहीं रखा गया।
2. परिसम्पत्तियाँ
- 2.1 सामान्य भविष्यनिधि/पेंशन निधि के निवेशन के लिए निवेशन पैटर्न का पालन नहीं किया गया।

2.1.1. परिषद ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-5(53)/2002-ई.सी. बी. एवं पी.आर. दिनांक 24.01.2008 में दिए गए पैटर्न के अनुसार निवेशन नहीं किया है।

ख. सामान्य

1. समेकित तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों और भुगतान लेखों को अनुदान सहायता, अपने स्रोतों से निधि आदि कालम का प्रयोग करके तैयार करना चाहिए वर्तमान में लेखों के तीन सैट तैयार किए गए हैं जो एक दूसरे से अलग हैं तथा जो संगठन की वित्तीय स्थिति का बृहद चित्रण प्रकट नहीं करता।

ग. सहायता अनुदान

परिषद को वर्ष के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल 68.60 लाख रुपये (18.60 लाख रुपये योजना में तथा 50.00 लाख रुपये गैर योजना में) प्राप्त हुए तथा 407.15 लाख रुपये की अपनी प्राप्तियाँ थी। परिषद ने रुपये 254.15 लाख रुपये योजना रुपये 18.66 लाख तथा गैर-योजना रुपये 235.49 लाख का उपयोग किया तथा 221.66 लाख रुपये की राशि शेष रही।

v. हमारे प्रेक्षण के अनुसार कार्यवाही के पैरा में हमने रिपोर्ट किया है कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के समझौते के अनुसार हैं।

vi हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणी के साथ दिया गया है एवं इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित

उपर्युक्त महत्वपूर्ण सामग्री तथा अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य सामग्री सत्य एवं स्वच्छ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है ।

क. तुलन पत्र में दिए गए 31 मार्च, 2008 तक के क्रियाकलाप भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से सम्बन्धित है ।

ख. यह समाप्ति वर्ष की तिथि तक की आय और व्यय लेखा के अधिशेष से सम्बन्धित है ।

अनुलग्नक -1

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के वर्ष 2007-08 लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ -

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता :

• आंतरिक लेखा-परीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पी. ए.ओ. द्वारा किया गया, जिसने वर्ष 2006-07 तक का लेखा-परीक्षा किया ।

* आपत्तियों के निपटान हेतु उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के 10 पैरों पर कार्रवाई शेष है । जिसकी धनराशि का मूल्य 40.02 लाख रुपये है ।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता

वातावरण नियंत्रण

* भर्ती नियम प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं है ।

मोनिटरिंग

• लेखा-परीक्षा आपत्तियों पर प्रबन्धकों की कोई प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं है । वर्ष 2004-05 से 2006 तक के पैरा 7 पर अनुवर्ती कार्रवाई अभी शेष है ।

3. परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन पद्धति:

• वर्ष 2007-08 की अवधि का स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा कोई कमी नहीं पाई गई ।

4. सामान सूची की भौतिक सत्यापन पद्धति:

• पुस्तकों और प्रकाशनों, पेपर का स्टेशनरी और अन्य उपभोज्य वस्तुओं का वर्ष 2007-08 का भौतिक सत्यापन किया गया ।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

* लेखों के अनुसार 31.03.2008 के अनुसार छह माह तक सांविधिक देय राशि की उत्कृष्ट देयताएं नहीं हैं ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
(गैर-लाभ-संगठन) का वर्ष २००७-०८ के लिए वित्तीय विवरण

विषय सूची

तुलन-पत्र	1
आय एवं व्यय	2
वित्तीय विवरण की अनुसूचियां	3 से 26
प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा	27
पेंशन निधि का तुलन पत्र	
तथा प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा	28 से 32
सामान्य भविष्य निधि का तुलन पत्र तथा	
प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा	33 से 36

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

31 मार्च 2008 को यथा तुलनपत्र

(राशि रु.)

पूंजीगत निधि तथा दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
समग्र निधि	1 (गै.यो) व 9 (जे.)	79,94,877	6,35,934	70,09,442	7,44,635
आरक्षित	2	5,53,76,491	--	3,30,22,768	--
चालू दायित्व	3	12,500	--	10,000	--
अन्य निवेश	4	1,04,96,494	--	1,18,41,479	--
परिसम्पत्तियाँ		7,38,80,362	6,35,934	5,18,83,689	7,44,635
स्वायी परिसम्पत्ति (अनुसूची 8)	5 (गै.यो) व 10 (जे.)	19,05,674	6,15,974	8,18,610	7,24,675
चालू परिसम्पत्ति, अग्रिम इत्यादि	6 (गै.यो)	14,700	19,960	50,548	19,960
बकाया शुल्क		36,21,792	--	42,60,200	--
निवेश	7 (गै.यो)	1,04,96,494	--	1,18,41,479	--
डाक टिकटें		16,097	--	15,823	--
अन्य शेष		52,802	--	8,57,420	--
बैंक में नकद (मुख्य खाता)		5,53,76,491	--	3,30,22,768	--
बैंक में नकद (आरक्षित निधि)		23,96,312	--	10,16,841	--
आरक्षित निधि पर प्रोदभूत ब्याज					
कुल		7,38,80,362	6,35,934	5,18,83,689	7,44,635
लेखाओं एवं महसपूर्व लेखा नीतियों पर टिप्पणियां	22				

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद

31 मार्च 2008 तक का आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रु.)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
मुदान सहायता	11 (गै.यो) 14 (गै.यो)	50,00,000	18,60,253	52,82,618	13,30,000
कुल		3,80,58,428	--	2,93,52,828	--
अन्य प्राप्ति		2,60,683	--	3,53,069	--
भारत निधि पर प्रोदभूत व्यय		23,96,312	--	10,16,841	--
कुल क		4,57,15,423	18,60,253	3,60,05,356	13,30,000
स्थापना व्यय	15 (गै.यो) 16 (गै.यो) व 19 (गै.यो) 18 (गै.यो)	67,56,371	--	61,74,660	--
शासनिक व्यय		90,44,694	17,58,115	54,96,504	12,45,553
अन्य व्यय		59,23,686	--	71,92,206	--
गै.ए.वी.पी. की समायोजित परिसम्पति (अनुसूची 8)		3,68,054	1,08,701	1,48,901	24,031
महत्वपूर्ण (अनुसूची 8)	17 (गै.यो) व 20 (गै.यो)	--	1,41,885	--	1,27,884
नोटों से जाने वाला अन्य व्यय		--	--	--	39,747
कुल ख		2,20,92,805	20,08,701	1,90,12,271	14,37,215
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		2,36,22,618	-1,48,448	1,69,93,085	-1,07,215
भारत निधि में स्थानान्तरित	22	2,14,00,000	--	1,60,60,000	--
समग्र निधि में स्थानान्तरित		14,56,431	--	1,04,599	44,700
अंशुगीत निधि में स्थानान्तरित		--	--	--	--
अवकाश/वादा के कारण समग्र निधि में ले जाया गया शेष		+22,22,618	-1,48,448	+9,33,085	-1,07,215
संबंधित और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियां					

अनुसूची-1

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद

समग्र निधि - गैर-योजना

तथा 31.3.2008 के तुलनापत्र को सपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

समग्र निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
गत तुलनापत्र के अनुसार	70,09,442		60,76,355	
जोड़े: व्यय से आय की अधिकता	22,22,618		-9,33,085	
	92,32,060		70,09,440	
			--	
	12,37,183	79,94,877	--	--
			2	70,09,442
जोड़े: अनुसूची ८ के अनुसार पूरा करने के कारण तथा बैंक में नकद		79,94,877		70,09,442

कटौती :- समायोजित प्रोदभूत व्यय 2006-07

कटौती : अंशुगीत परिसम्पति पर निर्माणा और पुस्तकालय में पुस्तकें

जोड़े : अनुसूची ८ के अनुसार पूरा करने के कारण तथा बैंक में नकद

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-2

आरक्षित निधि

31.3.2008 के तुलनपत्र को सपित आशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
आरक्षित निधि		
त लेखे के अनुसार	3,30,22,768	1,67,00,000
जोड़े : वर्ष के दौरान	2,14,00,000	1,60,60,000
	5,44,22,768	3,27,60,000
	--	--
	--	3,27,60,000
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	9,53,723	5,53,76,491
जोड़े :- अर्जित व्याज		2,62,768
कुल	5,53,76,491	3,30,22,768

अनुसूची-3

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

चालू दायित्व का ब्यौरा - गैर योजना

31.3.2008 के तुलनपत्र को सपित आशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
चालू दायित्व		
प्रतिभूति		
गत लेखे के अनुसार	10,000	5,000
जोड़े : वर्ष के दौरान	2,500	5,000
	12,500	10,000
	शून्य	--
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	12,500	10,000
कुल	12,500	10,000

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-4

**पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में निवेश
31.3.2008 के तुलनपत्र को स्वपित आंशिक अनुसूची**

शीर्ष	(राशि रु.)	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
पेंशन निधि		
परिपक्व सावधि जमा के रूप में निवेश	33,00,000	44,00,000
बैंक में नकद	1,62,087	12,47,682
प्रोदभूत ब्याज 2007-08	1,86,529	1,73,808
	36,48,616	58,21,490
सामान्य भविष्य निधि		
परिपक्व सावधि जमा के रूप में निवेश	61,85,261	55,60,261
बैंक में नकद	6,21,771	4,27,523
प्रोदभूत ब्याज 2007-08	40,846	32,205
	68,47,878	60,19,989
कुल	1,04,96,494	1,18,41,479

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
गैर-योजना के अधीन आंशिकों का ब्यौरा**

अनुसूची-5

31.3.2008 के तुलनपत्र को स्वपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	(राशि रु.)	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
अर्ध आंशिक		
त लेखे के अनुसार	16,200	16,950
जोड़े वर्ष के दौरान	24,000	28,500
टाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती	40,200	45,450
	25,500	29,250
सम्पूर्ण आंशिक		
त लेखे के अनुसार	--	7,000
टाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती	--	7,000
	--	--
प्रार आंशिक		
त लेखे के अनुसार	13,320	49,320
टाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती	13,320	36,000
	--	30,210
वह निर्माण आंशिक		
त लेखे के अनुसार	--	30,210
टाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती	--	--
प्रभाष		
त लेखे के अनुसार	--	9,228
विकास यात्रा रियायत आंशिक	--	11,800
वर्ष के दौरान	--	--
	14,700	11,800
कुल	14,700	50,548

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
गैर-योजना के अधीन बकाया शुल्क एवं जुर्माना का बौरा
31.3.2008 के तुलनपत्र को सपित आशिक अनुसूची**

(राशि रु.)

शीर्ष	गत वर्ष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया शुल्क		
गत लेखे के अनुसार	40,62,200	46,57,200
जोडे : वर्ष के दौरान	23,40,000	9,00,000
	64,02,200	55,57,200
घटाएं : बकाया के विरुद्ध वसूली	27,80,408	14,95,000
	36,21,792	40,62,200
बकाया जुर्माना		
गत लेखे के अनुसार	1,98,000	--
जोडे : वर्ष के दौरान	21,029	1,98,000
	2,19,029	1,98,000
घटाएं : कार्यकारिणी समिति के द्वारा छूट	2,19,029	--
	--	1,98,000
कुल	36,21,792	42,60,200

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
डाक टिकटों का बौरा-गैर-योजना
31.3.2008 के तुलनपत्र को सपित आशिक अनुसूची**

(राशि रु.)

शीर्ष	गत वर्ष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
डाक टिकटें		
गत लेखे के अनुसार	18,823	1,154
जोडे : वर्ष के दौरान	50,500	1,01,000
	66,323	1,02,154
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	50,226	86,331
	16,097	15,823
कुल	16,097	15,823

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद

अनुसूची-8

नई दिल्ली

(2007-08) में अनावर्तक परिसम्पत्तियां (गैर योजना)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	आद्य शेष	जोड़े	विमोचन	31-03-08 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1.	फर्नीचर एवं उपकरण	2,72,042	2,11,236	-	4,83,278	72,492	4,10,786
2.	कार्यालय उपकरण	4,91,822	10,03,565	-	14,95,387	2,24,308	12,71,079
3.	वातानुकूलित उपकरण	28,308	2,41,630	-	2,69,938	67,485	2,02,453
4.	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	26,438	-	1,313	25,125	3,769	21,356
	कुल	8,18,610	14,56,431	1,313	22,73,728	3,68,054	19,05,674

52

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद

अनुसूची-9

समग्र निधि योजना

31.3.2008 के तुलनपत्र को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

समग्र निधि	शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
गत तुलनपत्र के अनुसार		7,44,635	11,06,590		
घटाएं : आय पर व्यय की अधिकता		1,48,448	1,07,215		
		5,96,187	9,99,375		
घटाएं: अव्ययित अनुदान की वापसी		--	2,54,741		
जोड़े :- 2006-07 अव्ययित अनुदान की वापसी		39,747	7,44,634		
जोड़े :- अनुसूची -8 के अनुसार पूरा करने के कारण		--	1		
			6,35,934		7,44,635
	कुल		6,35,934		7,44,635

53

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
चालू परिसम्पत्तियाँ/अग्रिम योजना**

अनुसूची-10

31.3.2008 के तुलनपत्र को स्वपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
दूरभाष				
गत लेखे के अनुसार	19,960	19,960	19,960	19,960
डी.ए.वी.पी.				
गत लेखे के अनुसार	--	--	24,031	--
घटाएं :- वर्ष के दौरान समायोजित	--	--	23,031	--
कुल		19,960		19,960

54

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-11

**वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क एवं जुर्माना गैर-योजना
31.3.2008 तक के आय एवं व्यय लेखे को स्वपित आंशिक अनुसूची**

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क	65,10,000		63,20,000	
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	59,50,000		70,00,000	
प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए प्राप्त शुल्क /स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्राप्त शुल्क	1,16,00,000		1,08,00,000	
नामांकन के लिए प्राप्त शुल्क	39,000		30,000	
पंजीयन के लिए प्राप्त शुल्क	23,000		2,000	
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	15,399		1,828	
विलम्ब शुल्क	21,029		1,000	
धारा 13 (ग) के अधीन प्राप्त शुल्क	1,39,00,000		50,00,000	
वसूलने योग्य जुर्माना	--		1,98,000	
कुल		3,80,58,428		2,93,52,828

55

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-8

नई दिल्ली

अनावर्तक परिसम्पत्ति 2007-08 (योजना)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	आद्य शेष	जमा	विमोचन	31-03-08 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1.	फर्नीचर एवं उपकरण	1,75,301	-	-	1,75,301	26,295	1,49,006
2.	कार्यालय उपकरण	4,80,532	-	-	4,80,532	72,080	4,08,452
3.	पुस्तकालय के लिए पुस्तके	68,842	-	-	68,842	10,326	58,516
	कुल	7,24,675	-	-	7,24,675	1,08,701	6,15,974

56

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-12

प्राप्त शुल्क गैर-योजना

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	वर्ष	शत वर्ष
बकाया के विलुप्त प्राप्त शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए प्राप्त शुल्क/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क नामांकन के लिए प्राप्त शुल्क पंजीयन के लिए प्राप्त शुल्क सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क विलम्ब शुल्क (मायता शुल्क) विद्यमान महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क (धारा 13 ग)	27,80,408	14,95,000
	41,70,000	54,20,000
	59,50,000	70,00,000
	1,16,00,000	1,08,00,000
	39,000	30,000
	23,000	2,000
	15,399	1,828
	21,029	1,000
	1,39,00,000	50,00,000
	कुल	3,84,98,836

57

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-13

अग्रियों की वसूली गैर-योजना

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को स्वपित आशिक अनुसूची

शीर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष
पूर्व अग्रिम		25,500	29,250
कार अग्रिम		13,320	36,000
गृह निर्माण अग्रिम		--	30,210
कम्प्यूटर अग्रिम		--	7,000
कुल		38,820	1,02,460

58

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-14

अन्य प्राप्तियां गैर-योजना

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को स्वपित आशिक अनुसूची

शीर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष
कार अग्रिम से प्राप्त ब्याज		44,520	23,520
वचत खाता से प्राप्त ब्याज		1,22,730	2,16,836
कर्मचारियों से की गई वसूली		4,137	49,644
रद्दी की बिक्री		5,550	1,725
कर्मचारियों से के.स.स्वा.यो. के लिए प्राप्त अंशदान		15,950	16,770
कर्मचारियों से यात्रा अवकाश रियायत की वापसी		--	19,360
समायोजित चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वापसी		--	8,214
ग्रह निर्माण अग्रिम से प्राप्त ब्याज		48,000	12,000
कम्प्यूटर अग्रिम से प्राप्त ब्याज		5,463	5,000
पूर्व सेवा		302	--
फार्म की बिक्री		600	--
यात्रा भत्ता वसूली		200	--
पुस्तकालय के लिए कितानें		1,313	--
खरचाव		11,918	--
कुल		2,60,683	3,53,069

59

**भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद
स्थापना व्यय गैर-योजना**

अनुसूची-15

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को स्वपित आशिक अनुसूची

(गणि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सचिव का वेतन और स्थापना/कर्मचारी वर्ग का वेतन	29,43,753	31,63,963
चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता	129984	1,26,816
महंगाई भत्ता	12,26,781	9,13,726
मकान किराया भत्ता	9,21,433	9,85,026
वाहन भत्ता	59,800	70,000
नगर प्रतिकर भत्ता	91,300	96,900
धुलाई भत्ता	2,100	2,160
वानस	66,609	66,609
अवकाश यात्रा रियायत	11,661	1,16,984
समयोपरी भत्ता	27,752	29,074
मानदेय	1,06,167	--
के.स.स्वा.या. में अंशदान	1,07,388	1,33,431
शिक्षा शुल्क	3,000	2,040
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,49,792	1,26,407
सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित व्यय	1,15,139	2,02,808
पुरस्कार	3,50,070	3,600
मजदूरी	3,000	1,35,116
सुनिश्चित सेवा संबर्द्धन योजना	40,642	--
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ता.	--	--
कुल	67,56,371	61,74,660

60

**भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद
प्रशासनिक व्यय गैर-योजना**

अनुसूची-16

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को स्वपित आशिक अनुसूची

(गणि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेखन सामग्री	6,14,173	8,02,244
दूरभाष	1,00,107	78,333
डाक एवं तार	1,09,667	1,07,023
डाक टिकटें	50,226	86,331
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	9,000	9,033
युनिफार्म	11,685	1,605
लेखा परीक्षा शुल्क	53,680	63,445
मुद्रण विधि संबन्धी	51,121	32,440
प्रकाशन	5,52,087	7,45,428
बैंक प्रभार	49,85,860	30,56,238
रखरखाव	11,550	2,340
विविध	19,63,145	1,36,201
कर्मचारियों को प्रशिक्षण	2,40,221	1,73,988
भारतीय स्टेट बैंक में जमा टी.डी.एस.	--	5,051
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभार	76,910	46,535
कोरियर	45,909	45,423
टैक्सी प्रभार	55,926	72,029
विलम्ब शुल्क	31,600	32,676
विज्ञापन	--	141
कुल	90,44,694	54,96,504

61

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-17

नियत परिसम्पत्ति गैर-योजना

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
फर्निचर एवं उपस्कर	2,11,236	5,199
कार्यालय उपकरण	10,03,565	99,400
वातानुकूलित उपकरण	2,41,630	--
कुल	14,56,431	1,04,599

62

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-18

यात्रा प्रभार गैर-योजना

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	4,28,015	2,64,645
सचिव/कर्मचारी	87,551	82,046
कार्यकारिणी समिति	5,02,173	4,12,793
शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	--	1,62,506
शिक्षा समिति (यूनानी)	1,08,813	1,00,706
शिक्षा समिति (सिद्ध)	28,145	39,985
उप-समिति	6,69,686	6,36,278
परिषद के सदस्य	18,92,069	11,51,479
आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन	19,39,466	34,90,112
यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन	2,52,872	7,92,544
सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन	--	46,728
विभागीय पदेन्ति समिति/चयन समिति	6,980	--
वाहन प्रभार	7,916	12,384
कुल	59,23,686	71,92,206

63

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-19

प्रशासनिक व्यय - योजना

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को स्वपित आशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
यात्रा व्यय		
वैठक कार्यशाला (पंजीयन)	--	2,35,522
वैठक कार्यशाला. (आयुर्वेद)	5,98,312	4,52,316
वैठक कार्यशाला (यूनानी)	4,52,726	2,74,929
वैठक कार्यशाला (सिद्ध)	1,88,102	1,09,866
विविध व्यय	84,589	79,746
लेखन सामग्री	23,386	56,829
परिश्रामिक (मेहनताना)	4,11,000	11,200
विज्ञापन के लिए डी.ए.वी.पी.	--	25,145
कुल	17,58,115	12,45,553

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-20

नियत परिसम्पत्ति योजना

31.3.2008 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे को स्वपित आशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्यालय उपकरण		44,700
कुल		44,700

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली

सर्वजनिक जमा लेखा

31.03.2008 को यथा निवेश का ब्यौरा

अनुसूची-21

(राशि रु.)

1	टी.डी.सी.एस./004	0432924	30.08.2008 को परिषद	60,00,000.00
2	टी.डी.सी.एस./004	0433119	09.10.2009 को परिषद	80,00,000.00
3	टी.डी.सी.एस./004	0433120	09.10.2009 को परिषद	50,00,000.00
4	टी.डी.सी.एस./004	0436571	21.02.2009 को परिषद	75,00,000.00
5	टी.डी.सी.एस./004	0436718	06.03.2009 को परिषद	85,00,000.00
6	टी.डी.सी.एस./004	0438514	28.01.2010 को परिषद	40,00,000.00
7	टी.डी.सी.एस./004	0438517	24.03.2011 को परिषद	1,00,00,000.00
			कुल	4,90,00,000.00

कुल 4, 90,00,000.00

बैंक में शेष 63, 76,491.00

कुल 5, 53,76,491.00

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

नई दिल्ली

लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों पर टिप्पणियां

1. खाते ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किए गए हैं ।
2. केन्द्र सरकार से प्राप्त योजना निधि को पृथक निधि के रूप में दर्शाया गया है तथा पृथक रूप से ही अनुदान लिया गया है ।
3. आरक्षित निधि भविष्य के खर्चों के लिए प्राप्त शुल्क से बनाई गई है ।
4. जोखिम तत्वों से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में लम्बे समय के लिए सावधि जमा में निवेश किया गया है ।
5. राजस्व एवं पूंजीगत व्यय गैर-योजना एवं योजना अनुदान तथा शुल्क से प्राप्त राशि से किए गए हैं ।
6. **समग्र निधि :-**
यह व्यय से आय की अधिकता पर संचित शेष को दर्शाता है जो मुख्यतः प्राप्त शुल्क तथा अनुदान से नियत परिसम्पत्ति के निवल मूल्य से है ।
7. **आकस्मिक दायित्व :-**
परिषद पर आज तक के तुलन पत्र पर कोई आकस्मिक दायित्व नहीं है ।

8. अवमूल्यन

नियत परिसम्पत्ति पर परिसम्पत्ति के लिखित मूल्य पर वर्ष २००७-२००८ से निम्न दर के अनुसार अवमूल्यन दिया गया है

मद	अवमूल्यन की दर
फर्नीचर एवं उपस्कर	15%
कार्यालय उपकरण	25%
कम्प्यूटर	60%
वातानुकूलित	25%
पुस्तकालय की पुस्तकें	15%

9. वर्ष में विदेशी मुद्रा का संचालन नहीं है ।

10. अंको को निकटतम रूप में पूर्णांकित कर दिया गया है ।

11. पेंशन निधि तथा सामान्य भविष्य निधि के लेखे अलग से हैं तथा मुख्य तुलन-पत्र में गैर-योजना के अधीन दर्शाए गए हैं ।

12. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद पेंशन के दायित्व को पूरा करने के लिए पेंशन निधि रखती है ।

13. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के लेखे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
31 मार्च 2008 को समाप्त हुए अवधि/वर्ष के लिए प्रारिण्य एवं भुगतान

प्रारिण्य	चाबू वर्ष		भुगतान	चाबू वर्ष		गत वर्ष	गत वर्ष
	गैर-योजना	योजना		गैर-योजना	योजना		
आद्य शेष			स्थाना लय अनुसूची 15 (रै.जे.)	67,56,371	--	61,74,660	--
हस्तात रोकड़	1,000		प्रशासनिक लय अनुसूची 16 (रै.जे.) & 19(जे.)	90,44,694	17,58,115	54,96,504	12,45,553
बैंक में नकद	8,56,419	39,747	निवृत्त परिसम्पत्ति अनुसूची 17(रै.जे.) & 20(जे.)	14,56,431	--	1,04,599	44,700
डाक चिठ्टें	15,823	--	यात्रा लय अनुसूची 18 (रै.जे.)	59,23,686	--	71,92,206	--
प्राप्त आदान			पर्व अग्रिम	24,000	--	28,500	--
प्राप्त शुल्क अनुसूची 12(रै.जे.)	50,00,000	18,60,253	प्रतिभूति को वापसी	--	--	--	--
अग्रिमों को क्यूरी अनुसूची 13(रै.जे.)	3,84,98,836	--	आरक्षित निधि	2,14,00,000	--	1,60,60,000	--
अन्य प्रारिण्य अनुसूची 14(रै.जे.)	38,820	--	मंत्रालय को वापिस किया गया	--	--	--	2,54,741
प्रतिभूति	2,60,683	--	यात्रा अवकाश रियासत नक़ावा अग्रिम	--	--	11,800	--
	2,500	--	अन्य शेष	165	--	1000	--
			हस्तात रोकड़	52,637	1,41,885	8,56,419	39,747
			बैंक में नकद	16,097	--	15,823	--
			डाक चिठ्टें				
कुल	4,46,74,081	19,00,000	कुल	4,46,74,081	19,00,000	3,59,41,511	15,84,741

(रु. में)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
पैशन एवं उपदान निधि का 31 मार्च 2008 को यथा तुलन पत्र

(राशि रु.)

वर्णित	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
पूँजीगत निधि	23	36,48,616	58,21,490
कुल		36,48,616	58,21,490
परिसम्पत्ति	24		
बैंक में निवेश		33,00,000	44,00,000
अन्त शेष बैंक में नकद		1,62,087	12,47,682
2007-08 का प्रोदभूत ब्याज		1,86,529	1,73,808
कुल		36,48,616	58,21,490

अनुसूची-2.3

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
पैशन एवं उपदान निधि के सम्बन्ध में पूँजीगत निधि का ब्यौरा

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
गत लेखे के अनुसार		
जोड़े : सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	58,21,490	58,94,292
बैंक बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	58,988	1,44,972
पैशन एवं अवकाश अंशदान	21,578	15,514
2007-08 का प्रोदभूत ब्याज	24,366	336
	<u>1,86,529</u>	<u>1,73,808</u>
	61,12,951	62,28,922
घटाएं : दी गई पैशन		4,07,432
2006-07 का प्रोदभूत ब्याज समायोजित	6,13,335	
बैंक प्रभार	1,73,808	
अन्तिम भुगतान	370	
सावधि जमा योजना स्रोत पर काटा गया कर	16,60,184	
	<u>16,638</u>	
कुल	-24,64,335	58,21,490
	36,48,616	58,21,490

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद

अनुसूची-24

नई दिल्ली

पेंशन एवं उपदान निधि

31.03.2008 को यथा निवेश का ब्यौरा

(राशि रु.)

1	टी.डी. ए/41.	152280	03.05.2008 को परिषद	5,00,000.00
2	टी.डी.सी.एस./004	426364	28.06.2009 को परिषद	18,00,000.00
3	टी.डी.सी.एस./004	0431597	01.09.2009 को परिषद	10,00,000.00
कुल				33,00,000.00

72

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद

पेंशन एवं उपदान निधि

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष					
बैंक में नकद	12,47,682	1,19,292	मासिक पेंशन	6,13,335	4,07,432
निवेश पर आय	10,83,362	13,75,000	बैंक प्रभार	270	350
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	58,988	1,44,972	परिवर्तित पेंशन	6,96,056	--
वचत खाता पर ब्याज	21,578	15,514	उपदान	6,03,556	--
अन्य आय	24,366	686	छुट्टी के बदले भुगतान	3,60,572	--
			बैंक से न्यूनतम माने	100	--
			अन्य शेष		
			बैंक में नकद	1,62,087	12,47,682
कुल	24,35,976	16,55,464	कुल	24,35,976	16,55,464

73

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-25

अन्य आय

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
पेंशन अंशदान	13,321	686
अवकाश अंशदान	11,045	--
कुल	24,366	686

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

31 मार्च, 2008 को सामान्य शविष्य निधि का यथा तुलनपत्र

(राशि रु.)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
सामान्य शविष्य निधि का अंशदान	26	68,47,878	60,19,980
कुल		68,47,878	60,19,980
परिसम्पत्ति	27		
सावधि जमा के रूप में बैंक में निवेश		61,85,261	55,60,261
अल्प शेष बैंक में नकद		6,21,771	4,27,523
2007-08 का प्रोदक्षृत ब्याज		40,846	32,205
कुल		68,47,878	60,19,989

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद


सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान


(राशि रु.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आव शेष					
बैंक में नकद	4,27,523	5,97,256	अग्रिम	2,20,000	3,03,000
प्राप्त ब्याज			निकासी	7,80,000	5,93,000
i) सवधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,76,559	2,82,260	अन्तिम अदायगी	1,66,440	4,55,244
ii) वचत खाता पर प्राप्त ब्याज	19,335	19,322	सवधि जमा में निवेश	10,00,000	13,00,000
iii) रैर-योजना से स्थानान्तरित ब्याज	1,15,139	2,02,808			
vi) विशेष जमा योजना पर ब्याज	--	22,821			
अन्य प्राप्तियां			अन्त शेष		
i) अंशदान	12,04,200	11,88,900	बैंक में नकद	6,21,771	4,27,523
ii) अग्रिमों की वसूली	2,70,455	2,15,400			
iii) सवधि जमा की परिपक्वता	3,75,000	5,50,000			
कुल	27,88,211	30,78,767	कुल	27,88,211	30,78,767


Central Council of Indian Medicine



President



Registrar-cum-Secretary



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2007-2008

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Gazette Notification Extraordinary Part- II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Government of India vide issuing amendments in the said Gazette Notification has changed the members in 1984 and 1995. The main objects of the Central Council are as under :-

- i) To prescribe minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition (inclusion/withdrawal) of medical qualifications in/from Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- iv) To prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.
- v) To consider and furnish the recommendation to Government of India on the proposal received from various institutes from Government of India for establishment of new colleges of Indian Systems of Medicine, to increase intake capacity in Under-graduate, Post-graduate and to start new post-graduate or additional subjects.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been framing and implementing various regulations including the Curricula and Syllabii in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani Tibb at Under-graduate and Post-graduate level.

Now all the Colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the Country. These Colleges are following the minimum standards of education and Curricula and Syllabii laid down by Central Council.

In pursuance of amendment as 13C in Indian Medicine Central Council Act, 1970 by Government of India, the Central Council in exercise of the powers conferred by Section 36 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), with the previous sanction of the Central Government, prescribed "Indian Medicine Central Council (Regulating Medical Colleges) Regulation 2006."

As per provisions of these Regulations Colleges established before 07.11.2003 requested to apply to the Govt. of India by 7.11.2006 for permission as required by Section 13C of IMCC Act 1970. Application of the colleges were received by Govt. of India and were forwarded to CCIM to furnish the recommendations to Govt. of India in accordance to Section 13A.

Central Council has already prescribed following courses at Under-graduate and Post-graduate level Minimum Standards of education and syllabi for different courses in Ayurveda, Siddha and Unani Tibb have also been laid down by the Council.

Ayurved

Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery) 5-1/2 y

Ayurved Vachaspati MD/ (Ayurved) 3 y

Ayurved Dhanwantari MS (Ayurved) 3 y

Unani Tibb

Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) 5-1/2 y

Mahir-e-Tib MD (Unani) 3 y

Mahir-e-Jarahat MS (Unani) 3 y

Siddha

Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery) 5-1/2 y

Siddha Maruthuva Perignar MD (Siddha) 3 y

To verify the actual observance of these standards, Central Council has been sending teams of members to visit the educational institutions in the country. These teams submit the report to the Council as per proforma pointing out actual situation and shortcomings. These reports are carefully considered in the Council at different levels and decisions are taken for permitting to admit a specified number of students commensurate with the over all facilities available in the institution or not permitting admission in cases of non-availability of Minimum Standards. The institutions are simultaneously directed to remove the shortcomings pointed out by the visiting teams within specified period. As a result of such strict monitoring, the standard of teaching is improving continuously.

During the current year the programme of visitation was pursued vigorously and 24 Unani and 07 Siddha Colleges were visited in order to assess the present status of available facilities of teaching and practical training.

The Central Council resolved that Govt. of India be requested to include the practitioners of Ayurved, Siddha & Unani possessing the qualifications included in Second Schedule to IMCC Act.1970 under the definition of Registered Medical Practitioners of PNDT Act.

Central Council also decided to issue the I-card to the teaching staff of Ayurved, Unani and Siddha colleges to avoid the duplicacy of teaching staff.

Central Council decided that extension of the cut of date, for admissions hampers the teaching and training the students, it is also a violation of Regulations prescribed by CCIM. It was also decided to inform all concerned authorities for completing procedure of admission of first professional Course of Ayurvedacharya (BAMS), Kamil-e-tib-o-Jarahat (BUMS) and Siddha Maruthuva Arignar (BSMS) course by 31st October. Further, date shall not be extended in any case.

Central Council decided to approach the UGC to include the nomenclature of BUMS and M.D.(Unani) degrees in the list of recognized degrees of UGC at par with BAMS, MD (Ayurved.) and BSMS and M.D.(Siddha)

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation and maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council. As per provisions of the IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining a Central Register in the prescribed manner, which is containing, the names of persons who are enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognized medical qualifications included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The maintenance of Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.

During the year the Central Register of Indian Medicine of the following States have been prepared and Notified in the Gazette.

S.No.	Name of State	Period
1.	Punjab	From January, 1999 to February, 2006
2.	Uttarakhand	Inception to March, 2007
3.	Gujarat	From 1st January, 2000 to 31 st March 2005
4.	Chhatisgarh	From 1st April, 2002 to 31 st December, 2006
5.	Rajasthan	From January, 2002 to 31 st December, 2006
6.	Assam	31 st January, 2006 to 7 th August, 2006

ADMINISTRATIVE REPORT COMPOSITION OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The following are the members of the present Central Council as on 31st March 2008: -

AYURVEDA

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Vaidya Raghunandan Sharma | 25. Dr. NV Salgarkar |
| 2. Dr. Jayprakash Narayan | 26. Vaidya Jagjeet Singh |
| 3. Prof. Kulwant Singh | 27. Dr. Mukesh Walia |
| 4. Dr. Sivanandam | 28. Dr. P Narayanan |
| 5. Dr. P.K. Jain | 29. Dr. Hari Ram Bhadoria |
| 6. Vaidya Ved Prakash Tyagi | 30. Dr. Kamlesh Kumar Verma |
| 7. Dr.Niranjan Singh Tyagi | 31. Dr. Anand Vardhan Dwivedi |
| 8. Dr. B.K. Jai Singh | 32. Dr. Suresh Chander Gupta |
| 9. Dr. Marry Vaman Reddy | 33. Vaidya Mahendra Kumar Sharma |
| 10. Dr. Gajendra Bharali | 34. Dr. V.V.Chhikara |
| 11. Dr. Deovrat Narayan Singh | 35. Dr. Amitabh Kumar |
| 12. Dr. Indra Mohan Jha | 36. Dr. Manoj Kumar Dubey |
| 13. Dr. Alakh Narayan Singh | 37. Dr. A.V. Joshi |
| 14. Dr. Om Prakash Vashisth | 38. Dr. Mahesh Chandra Sharma |
| 15. Dr. Sukhdev Singh Vansia | 39. Prof.Jaya Ram Yadav |
| 16. Dr. KC Sharma | 40. Dr.S.Madhavan |
| 17. Dr. Bimla Chaudhary | 41. Dr.Banwari Lal Gaur |
| 18. Dr. Roop Lal Sharma | 42. Dr.SS Savarikar |
| 19. Dr.Ashok Kumar Sharma | 43. Dr. (Mrs.) Pooja Bhardwaj |
| 20. Dr. K Chandrashekara Ballal | 44. Dr.Swapan Kumar Bhunia |
| 21. Dr. K. Anil Kumar | 45. Dr.KG Chandrappa |
| 22. Dr. Ramanathan Devraj Iyer | 46. Dr.M Mohan Alva |
| 23. Dr. Ranvir Singh Parihar | 47. Dr.MM Jumle |
| 24. Dr. Rajesh Shukla | 48. Dr.Yuvraj Kumar Tyagi |

49. Dr. Satish Dutt Garg
 50. Dr. Gyan Kumar Ahuja
 51. Vaidya Shah KisanVithaldas
 52. Vaidya Ramesh Krishna Deshmukh

SIDDHA

57. Dr.V.Stanley Jones
 58. Dr.S.Bhoopathi Raj

UNANI

61. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
 62. Prof.Abdul Mobin Khan
 63. Hakim Saud Ali Khan
 64. Dr.Abu Bakar Khan
 65. Dr.Bashir Ahmed
 66. Dr.Rashidullah Khan
 67. Dr.Madan Singh Jakhar
 68. Dr.Mehmood Ali
 69. Dr.S.Ziauddin

53. Dr.Sheshadri
 54. Dr.Vasudevan Namboodri
 55. Dr.P Ram Manohar
 56. Dr. Batuk Shankar Joshi

59. Dr.V.Arunachalam
 60. Dr. Sellamuthu

70. Dr. Mohd. Akhtar Masood Siddiqui
 71. Hakim Shamim Ahmed Saeedi
 72. Dr.Qamruzzama
 73. Hakim Syed Faizan Ahmed
 74. Dr.Khazi Raziuddin Ahmed
 75. Dr.MA Jafri
 76. Dr. Mohammed Khalid Siddiqui
 77. Dr.(Mrs.) Alia Aman

COMMITTEES

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following main three Committees, namely:-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of members elected/nominated under clause (a), (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 respectively.

President is elected by the CCIM as provided in sub-section 2 of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

(Unani) was held on 6.6.07. Vaidya Raghunandan Sharma was elected President, CC and Prof. Hakim Syed Khaleefathullah, Vice-President (Unani)

The following persons are President and Vice-Presidents of the Council:-

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. President | Vaidya Raghunandan Sharma |
| 2. Vice-President (Ayurved) | Dr. Jayaprakash Narayan |
| 3. Vice-President (Siddha) | Dr. V.Stanley Jones |
| 4. Vice-President (Unani Tib) | Prof. Hakim Syed Khaleefathullah |

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made there under in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. Members representing all the three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani Tibb are included in the Committee.

The following are the Office bearers of the Executive Committee :-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Vaidya Raghunandan Sharma | Chairman |
| 2. Dr. Jayaprakash Narayan | Member (Ex-Officio) |
| 3. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah | Member (Ex-Officio) |
| 4. Dr. V Stanley Jones | Member (Ex-Officio) |
| 5. Dr. V.Arunachalam | Member |
| 6. Dr. Sivanandam | Member |
| 7. Dr. Pramod Kumar Jain | Member |
| 8. Prof.Abdul Mobin Khan | Member |
| 9. Dr. Mohammed .Khalid Siddiqui | Member |
| 10. Vaidya Ved Prakash Tyagi | Member |
| 11. Dr. N.S. Tyagi | Member |

MEETINGS OF THE COUNCIL AND COMMITTEES

During the year 2007-2008, the following meetings were held:-

1. Meeting of Sub-Committee for the purpose of recommendations of Internship of Kamil-e-tib- o-Jarahat course on 13.4.07
2. Meeting of Sub-Committee to discuss 11th Five Year Plan held on 9.5.2007
3. Meeting of Sub-Committee to discuss Standing Orders held on 9.5.2007
4. Meeting of Executive Committee held on 10.5.2007
5. Meeting of Sub-Committee for Internship of Kamil-e-tib-o-Jarahat course held on 11.5.2007
6. Meeting of Unani Committee held on 21.5.2007
7. Meeting/Election of President and Vice-President held on 6.6.2007
8. Meeting of Education Committee (Siddha) held on 19.6.2007
9. Meeting of Executive Committee held on 16.7.2007
10. Meeting of Education Committee (Ayurveda) held on 16.8.2007
11. Meeting of Unani Committee held on 16.8.2007
12. Meeting of Siddha Committee held on 16.8.2007
13. Meeting of Ayurveda Committee held on 17.8.2007
14. Meeting of Executive Committee held on 18.8.2007
15. Meeting of Central Council of Indian Medicine held on 18.8.2007
16. Meeting of Sub-Committee to finalize the PG Regulations of Unani Tib held on 28 & 29.8.2007
17. Meeting of Sub-Committee to prepare and finalize the Internship Regulations of Kamil-e-tib-o-Jarahat course held on 10.9.2007
18. Meeting of Executive Committee held on 5.10.2007
19. Meeting of Sub-Committee to prepare guidelines on Code of Ethics and discipline held on 16.10.2007
20. Meeting of Committee held on 19-20th December,2007 with Principal Secretary, Medical Education, Government of MP, Director of Indian Systems of Medicine and President/Registrar, Board of Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, Bhopal to discuss the issue relating to registration.

21. Meeting of Sub-Committee to prepare guidelines on Code of Ethics discipline held on 13.11.2007
22. Meeting of Executive Committee held on 22.1.2008
23. Meeting of Ayurveda Committee held on 23.2.08
24. Meeting of Unani Committee held on 23.2.08
25. Meeting of Siddha Committee held on 23.2.08
26. Meeting of Central Council of Indian Medicine held on 24 & 25.2.08
27. Meeting of Executive Committee held on 24.2.08
28. Meeting of Sub-Committee to finalize the World Ayurveda, Unani Siddha Day held on 15.3.08

MEETING OF EXPERTS

1. Meeting of Experts/Members for translation work of Syllabus of Ayurvedacharya course in English and Hindi held on 29-30.11.07.
2. Meeting of Experts/Members for translation work of Syllabus of Ayurvedacharya course in English and Hindi held on 06-07.12.07
3. Meeting of Experts/Members for translation work of Syllabus of Ayurvedacharya course in English and Hindi held on 19-20.12.07
4. Meeting of Experts/Members for translation work of Syllabus of Ayurvedacharya course in English and Hindi held on 28-29.12.07
5. Meeting of Experts/Members to translate the existing syllabus of Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery) course was organized on 8-9.1.2008
6. Meeting of Experts/Members for translation work of BUMS Syllabus (Deptt.of Tashreehul Badan, Munafe-ul-Aza, Hifzan-e-Sehat and Ilmu Samoom) held on 30-31.1.2008
7. Meeting of Experts/Members for translation work of BUMS Syllabus (Deptt.of Ilmu Advia-I (Kulliyat & Mufradat) and Ilmu Advia II (Murakkabat & Saidla) held on 4-5.2.08
8. Meeting of Experts/Members for translation work of BUMS Syllabus (Deptt.of Arabic, Mantiq-o-Falsafa-wa-Haiyat and Tarikh-e-Tib) held on 4.2.2008

9. Meeting of Experts/Members for translation work of BUMS Syllabus (Deptt.of Umooor-e-Tabiya (Kulliyat), Ain-Uzn,Anaf,Halaq-wa-Asnan and Ilmul Amraz & Shareeriyat) held on 11-12.2.2008
10. Meeting of Experts/Members for translation work of BUMS Syllabus (Deptt.of Jarahat, Ilmul Qabalat, Moalijat-I and Moalijat II) held on 18-19.2.2008

AYURVEDA

The salient features of the recommendations are as under: -

The Central Council agreed to the recommendations of Ayurveda Committee that; i) CCIM should give the final warning to MUHS, Nasik to adopt ATKT as it is mandatory for every University. If it is not adopted by University, the Central Council shall be compelled to recommend to Government of India for withdrawal/recognition of the degree as per Section 21 of IMCC Act,1970.

ii) Ayurved Committee also agreed to constitute a Committee to go for monitoring the activities of the Universities to follow the ATKT and other Regulations, it should be started from MUHS. Central Council took very seriously the matter of admission of MBBS degree holder in Ayurved Vachaspati (MD Ayurved) by BHU inspite of various requests at several time and decided to take the strict action against the Banaras Hindu University.

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/included the following medical qualifications of Ayurveda in the Second Schedule to the Indian Medical Central Council Act, 1970 during the year 2007-08: -

Name of University/Board/ Medical Institute	Recognized Medical qualification	Abbreviation for registration	Remarks
PART I AYURVEDA University of Mysore, Mysore	Bachelor of the System Ayurved Medicine	BSAM .	From 1967 to 1982
	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 1975 to 1996
	Doctor of Ayurvedic Medicine	D.Ay.M.	From 1975 to 1996
	Ayurveda Vachaspati (Doctor of Medicine in Ayurveda)	MD.(Ayurveda)	From 1979 to 2000
Mahatma Gandhi Chittrakoot Vishwavidyalaya, Chittrakoot, Satna	Ayurveda Vachaspati	MD(Ayurveda)	From 1996 to 1999

PERMISSION TO NEW COLLEGES

As per provisions of the Establishment of new medical college, opening of new or higher course of studies or training and increase of admission capacity by a medical college Regulations, 2003, 16 proposals for starting new Ayurved colleges by various organizations, 10 proposals for increasing intake capacity by existing Ayurved colleges in UG and 14 for starting Post-graduate course in Ayurveda were received from Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of AYUSH. The Central Council after screening the proposals for the above purpose carried out inspection of 16 for starting new Ayurved colleges, 10 proposals for increasing intake capacity and 14 proposals for starting PG Course in Ayurved for examination of Scheme before sending the recommendations to the Government of India as required under Section 13 A of IMCC Act, 1970.

The Recommendations of the Central Council in the matter were sent to Government of India.

VISITATION OF COLLEGES

Following Ayurveda colleges were visited to assess the available facilities of teaching and practical training for UG/PG as the case may be in conformity with Minimum Standards and requirements laid down by Council for Ayurvedic colleges & hospital as well as to verify the compliance. The details are as under:-

No.	Name of College	Date of Visitation	UG/PG
Andhra Pradesh			
	Vagdevi Ay.Medical College, Warangal,	25 & 26.06.07, 4.2.08	UG
	MNR Ayurved College, Medak, (AP)	30-31.7.07, 2.2.08	UG
	Shri Vageshwari Ayurved Medical College, Karimnagar	1-2.8.07	UG
	Dr.BRKR Ayurved College, Hyderabad	12.3.08, 8.8.07, 20.2.08	UG & PG
	Anantha Laxmi Govt. Ayurved College Warangal	11.03.08	UG
	Dr. NRS Govt. Ayurved College, Vijayawada	10.03.08	UG & PG
Assam			
	Govt. Ayurved College, Guwahati	07.03.08	UG & PG
Bihar			
	Ravindernath Mukherji Ayurved College, Motihari	30.01.08	UG
	Rajkiya Ayodhya Shiv Kumari Ayurved College Begusarai	19.03.08	UG
	Govt. Ay. College, Patna	13.03.08	UG & PG
	Ayurved Mahavidyalaya, Gaya	11.03.08	UG
	Dayanand Ayurved College & Hospital Siwan	15.03.08	UG
	Shri Moti Singh Jageshwari Ayurved College & Hospital, Chhapra	17.03.08	UG
	Swamy Raghvendra Charya Tridandi Ay.Mahavidyalaya, Karjara, Gaya	10.03.08	UG
	Nitishwer Ayurved Medical College & Hospital, Muzaffarpur	31.01.08	UG

Chandigarh			
16	Shri Dhanwantry Ay.College & Hospital, Chandigarh	4.2.08	UG
Chhatisgarh			
17	Chhatisgarh Ay.Medical College, Rajnandgaon, Chhatisgarh	22 & 23.6.07	UG
18	Shri Narayan Prasad Awasthy Govt. Ayurved College, Raipur	12.02.08	UG & PG
19	Rajiv Lochan Ay. Chikitsa College, Durg	11.2.08	UG
Gujarat			
20	Govind Bhai Jorabhai Patel Ayurved Medical College, Anand	20 & 21.6.07	UG
21	J.S Ayurved College, Nadiad	14.03.08	UG
22	Parul Institute of Ayurved, Vadodra	18 & 19.6.07	UG
23	Govt. Ayurved College, Baroda	07.03.08	UG
24	Arya Kanya Shudha Ay. Mahavidyalaya, Baroda	08.03.08	UG
25	Govt. Akhandanand Ayurved College, Ahmedabad	03.03.08	UG & PG
26	O.H. Nazar Ayurved College, Surat	04.03.08	UG
27	Govt.Seth J.P. Ayurved College, Bhavnagar	15.03.08	UG
Himachal Pradesh			
28	Rajiv Gandhi Rajkiya Govt. Ayurveda Post Graduate College, Paprola	14.03.08	UG & PG
Goa			
29	Bharateeya Sanskrit Prabodhini Gomantak Ayurved Mahavidyalaya, Shiroda- South Goa	03.03.08	UG
Haryana			
30	Shri Baba Mastnath Ay.College, Rohtak	01.8.07,27.2.08	UG

31	Gaur Brahmin Ayurved College, Rohtak	26.02.08	UG
32	Murarilal Rasiwasia Ay. College, Charkhi Dadri	21.02.08	UG
33	Ch. Devilal College of Ayurveda Jagadhari	22.02.08	UG
34	Shri Krishna Govt. Ayurved College, Kurukshetra	24.03.08	UG
35	Shri Maru Singh Memorial Mahila Ayurved Degree College, Khanpur Kalan, Sonapat	28.02.08	UG
Jammu & Kashmir			
36	Jammu Institute of Ayurved & Research Muthi, Jammu Tawi	02.02.08	UG & PG
Jharkhand			
37.	Sant Vinoba Ayurved Medical College, Chatra	29.1.08	UG
38	Surya Mukhi.Dinesh.Ay.College & Hospital, Ranchi	17.03.08	UG
Kerala			
39	Amrita Ayurveda Medical College, Kollam	27.6.07	UG
40	Shri Narayan Institute of Ay. Studies & Research, Puthur, Karimpinuruztia, Kollam	23 & 24.6.07	UG
41	KMCT Ay. Medical College, Kozhikode	27 & 28.6.07	UG
42	Mannam Ay. Medical College, Pandalam	29 & 30..6.07	UG
43	PN Pannikar Souhruda Ay.College, Kasaragod,	2-3.8.07,28.1.08	UG
44	Govt. Ay. College, Kannur	9.8.07,18.3.08	UG & PG
45	VPS Varier Ay. College, Kottakal, Edarikode	8.8.07,13.2.08	UG PG
46	Government Ayurved College,Tripunitura	7.8.07,14.2.08	UG & PG

47	Parrasianikkadavu Ayurved College, Parrasianikkadavu, Kannur	17.03.08	UG
48	Nangelil Ay. Collage Nangelil, Erakulam	26.03.08	UG
49	Vaidyaratnam Ayurved College, Ollur Trichur	27.03.08	UG
50	Santhigiri Ayurved College, Palakkad	01.03.08	UG
51	Vishnu Ayurved College, Shoranur	03.03.08	UG
52	Pankaj Kasthuri Ay. College , Thiruvananthapuram	27.03.08	UG
53	Govt. Ayurved College, Thiruvanthapuram	15.02.08	UG & PG
54.*	PNMM Ay. Medical College, Shoranur	25-26.6.07	UG
Karnataka			
55.	Taranath Govt.Ay.College, Ballary	31.1.08	UG & PG
56.	Shri Sidhi Vinayak Rural Ay. Medical College, Harugeri	17.2.08	UG
57	Sri Sri Ayurvedic Sciences' & Research, Bangalore	23 and 24.6.07	UG
58	K.P.S.V.S. Ayurved Medical College, Manvi	16.02.08	UG
59	Bapuji Ay Medical College, Shimoga	26.6.07	UG
60	Atreya Ay. Medical College, Bangalore	27 & 28.6.07	UG
61.	Ashwin Ay. Medical College & Research Centre, Tumkur	25 & 26.6.07	UG
62	CB Guttal Ay.Medical College & Hospital, Dharwad	27 & 28.6.07	UG
63	SDM Ay. Medical College, Terdal	4 & 5.7.07	UG
64	Shri Raghvendra Ay. Medical College, Chitradurga	2 & 3.7.07	UG
65	Govt.Ayurved College, Bangalore	3.8.07,19.2.08	UG & PG
66.	Shri Vijay Mahantesh Ayurvedic Medical College,Ilkal	9.8.07,15.2.08	UG

67.	*Shri Vidyasagar Ayurved College, Belgaum	30-31.7.07	UG
68	Shri J.G. Co-operative Hospital Ayurved Medical College, Ghataparbha	04.02.08	UG & PG
69	Shri Veerupulkeshi Vidyavardhak Samasth's Rural Ay. College & Research Centre, Badami	06.02.08	UG
70	Shri Kalidas Ayurved Medical College, Badami	07.02.08	UG
71	Muniyal Institute of Ayurved Sciences, Manipal	09.02.08	UG
72	Shri D.G.M. Ayurvedic Medical College, Gadag	16.02.08	UG & PG
73	ALN Rao Memorial Ayurved College, Koppa	20.02.08	UG & PG
74	TAME Society Ayurved Medical College, Hospet	14.02.08	UG & PG
75	Dhanwantri Ayurved College & Hospital, Siddhapur	05.02.08	UG
76	N.K. Jabashetty Siddharudh Math Ayurved Medical College, Bidar	12.02.08	UG & PG
77	S.S. Ayurvedic Medical College, Haveri	18.02.08	UG
78	Bapuji Ayurvedic Medical College, Shimoga	04.02.08	UG
79	*Shri Bahubali Ayurvedic Medical College, Terdal	08.02.08	UG
80	Mahaganpati Ayurved College, Dharwad	13.02.08	UG
81	*Taluka Shikshan Ayurved Medical College, Sindhagi Bijapur	01.02.08	UG
82	K.B. Society Rural Ay. Medical College, Belgaum	05.02.08	UG
83	Ayurved Mahavidyalaya, Old Hubli	26.02.08	UG & PG

84	KLE Societys Shri BM Kankanwadi Ay. College, Belgaum	28.02.08	UG & PG
85	AVS Ayurved Mahavidyalaya, Bijapur	27.02.08	UG & PG
86	Shri Jagadguru Gavi Sidheshwaa Ayurved Medical College, Koppal	27.02.08	UG
87	Sushrutha Ayurved Medical College, Bangalore	28.02.08	UG
88	Dr. B.N.M. Rural Ayurved College & Hospital, Bijapur	26.02.08	UG
89	S.G.V. Ayurved Medical College, Balhonga	04.03.08	UG
90	B.V.V.S. Ayurved College, Bagalkot	31.01.08	UG
91	Shri Hingulambika Education Society Ayurved College, Gulbarga	30.01.08	UG
92	Shri Shiva Yogeshwar Ayurved College, Inchal	07.02.08	UG
93	Karnataka Ay. Medical College, KECT, Mangalore	06.02.08	UG
94	K.V.G. Ayurved Medical College & Hospital, Sulliya	07.02.08	UG
95	*TAME Ayurved Medical College, Bhadrawati	12.02.08	UG
96	Shri Kalabhairaveshwara Swami Ayurved Medical College, Bangalore	09.02.08	UG
97	Rajiv Gandhi Education Society, Ron	14.02.08	UG
98	Bapuji Ayurved Medical College, Challakere	19.02.08	UG
99	Amrutha Ayurved Medical College, Chitradurga	18.02.08	UG
100	Bhagwan Mahaveer Jain Ay. College, Gajendergarh	15.02.08	UG
101	Ashwini Educaitional Association's Ayurvedic College, Davangere	20.02.08	UG & PG

102	Government Ayurvedic Medical College, Mysore	08.02.08	UG & PG
103	J.S.S. Ayurved Medical College, Mysore	09.02.08	UG
104	SDM College of Ayurveda, Hassan	07.02.08	UG & PG
105	Shri DM College of Ayurved, Udupi	06.02.08	UG & PG
106	Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore	08.02.08	UG
Maharashtra			
107	Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya, Sangmner	25 & 26.7.07, 6.2.08	UG & PG
108	JJ Magdum Ay. Medical College, Jaisingpur	25 & 26.6.07, 5.2.08	UG
109	Rural Institute of Ay. & Research Centre, Hospital, Myani	22 & 23.6.07	UG
110	Bharti Vidyapeeth's College of Ay., Pune	23 & 24.6.07, 5.2.08	UG & PG
111	Dr.DY Patil College of Ayurved & Research Institute, Narul, Navi Mumbai	21 & 22.6.07	UG
112	Yerala Medical Trust & Ay. College, Mumbai	30 & 31.7.07, 24.1.08	UG
113	*Al Ameen Medical College, Malegaon	27 & 28.7.07	UG
114	Kusumtai Rajrambapu Patil Ay. College, Chiplune, Ratnagiri	27 & 28.7.07	UG
115	Shri Vivekanand Ay. Mahavidyalaya, Rahuri	30 & 31.7.07, 6.2.08	UG & PG
116	Annasaheb Dange Ay. College, Sangli	4-5.8.07, 12.2.08	UG & PG
117	Pawan Raja Ayurveda College, Bhandara, Pauni	3-4.8.07	UG
118	Ashvin Rural Ayurveda College, Manchi Hill, Sangamner	27-28.7.07, 16.2.08	UG
119	Shri Uttam Raoji Dhake Ayurved College, Washim	27-28.07.07, 4.2.08	UG

120	Manjara Ayurved Medical College, Latur	30.01.08	UG
121	Dhanwantary Ayurved College, Udgir Latur	10.8.07, 29.01.08	UG
122	Govt. Ayurved College, Nanded	31.01.08	UG & PG
123	Yashwant Ayurved College, Kodoli	04.02.08	UG & PG
124	Ramarao Patil Ayurved College, Parbhani	01.02.08	UG
125	Ganga Educational Ayurved College, Kolhapur	08.02.08	UG
126	Nalasopara Ayurved College, Mumbai	06.02.08	UG
127	ASS Ayurved College, Nashik	08.02.08	UG & PG
128	Government Ayurved College, Osmanabad	09.02.08	UG & PG
129	Bhartiya Sanskriti Darshan Ayurved Mahavidyalaya, Wagholi	20.02.08	UG & PG
130	Seth Chandanmalmutha Ayurved College, Satara	15.02.08	UG & PG
131	Lt. Sunil Ramsinghji Chunawale Ayurved Medical College, Chikhli Buldana	08.02.08	UG
132	Sumatibhai Shah Ay. Mahavidyalaya, Hadapsar	18.02.08	UG & PG
133	Late Kedari Redkar Ay. Mahavidyalaya, Kolhapur	11.02.08	UG
134	Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur	05.03.08	UG
135	Shri Saptshrungi Ayurved Mahavidyalaya, Nashik	07.03.08	UG
136	Ayurved Mahavidyalaya, Pusad	07.02.08	UG
137	Seth Govindji Raoji Ayurved College, Solapur	07.03.08	UG
138	D.M.M. Ayurved Mahavidyalaya, Yeotmal	07.03.08	UG & PG
139	R.T. Ayurved College, Akola	06.03.08	UG & PG
140	Shri Gurudeo Ayurved College, Mozri Amravati	04.03.08	UG
141	Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya, Amravati	05.03.08	UG & PG

142	Pd. D.Y. Patil Ayurved College, Pimpri	08.03.08	UG & PG
143	Smt. K.G. Mittal Ayurved College, Mumbai	15.03.08	UG & PG
144	RJVS Bhaisaheb Ay, Mahaviyalaya, Sawantwadi	05.03.08	UG
145	K.V.T.R. Ayurved College, Boradi Dhule	14.02.08	UG
146	Ayurved Medical College, Chalisgaon	13.02.08	UG
147	Bhauasaheb Mulak Ayurved College, Nagpur	05.02.08	UG
148	Smt. KC Ajmera Ayurveda College, Dhule	15.02.08	UG
149	Dada Saheb Ayurved College, Dhule	16.02.08	UG
150	Mahadevrao Shivankar Ayurved College, Gondia	09.02.08	UG
151	Govt. Ayurved College, Nagpur	06.02.08	UG & PG
152	Jupiter Ayurved College, Nagpur	07.02.08	UG
153	Chaitanya Ayurved College, Bhusawal	17.02.08	UG
154	College of Ayurved Research Centre, Akurdi	19.02.08	UG & PG
155	Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur	08.02.08	UG & PG
156	Sangam Sevabhavi Ayurved College, Sangamner	07.02.08	UG
157	Hanuman Shikshan Ayurved College, Vadgaon	09.02.08	UG
158	Loknete Rajarambapu Ay. College, Islampur, Sangli	13.02.08	UG
159	Vasant Dada Patil Ayurved College, Sangli	14.02.08	UG
160	Ayurved Mahaviyalaya, Sion	14.03.08	UG & PG
161	CSMSS Ayurved College, Aurangabad	25-26.7.07 16.02.08	UG & PG
162	Padamshri Vithal Rao Vikhe Ay. College, Shevgaon	13.02.08	UG
163	Gangadhar Shastri Gune Ay. College, Ahmednagar	19.02.08	UG
164	Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune	18.02.08	UG & PG
165	R.A. Podar Ayurved College, Mumbai	07.02.08	UG & PG

Madhya Pradesh			
166	Aajeevan Swashya Samvardha Ay. College, Manvi, Chitrakoot, Satna	31.7.07 & 1.8.07	UG
167	Govt. Dhanwantri Ay. College, Ujjain	6.8.07, 29.3.08	UG & PG
168	Arogya Instt. of Ay. and Research Richabardi, Indore	8-9.8.07, 18.2.08	UG
169	Silvar Oak Ayurved Medical College, Jabalpur	31.7.07 & 1.8.07	UG
170	Grantham College of Ayurved & Research Centre, Gwalior	2 & 3.08.07	UG
171	Om Ayurved Medical College, Betul	13.02.08	UG
172	Govt. Ashtang Ayurved College, Indore	28.03.08	UG
173	Mahavir Ayurved Mahavidyalaya, Mandasour	4-5.8.07	UG
174	Rajiv Gandhi Ayurved College, Bhopal	13.02.08	UG
175	Pt. Khushilal Sharma Govt. Ay. College, Bhopal	16.02.08	UG
176	Veenavadini Ayurved College, Bhopal	15.02.08	UG
177	Rani Dullaiya Ayurved College, Bhopal	14.02.08	UG
178	Govt. Ayurved College, Rewa	12.02.08	UG & PG
179	Pt. Shiv Shaktilal Sharma Ayurved College, Ratlam	06.02.08	UG
180	Shubhdeep Ayurved College, Indore	10.02.08	UG
181	Govt. Ayurveda College, Jabalpur	31.03.08	UG
182	Acharya Gyan Ayurved College, Indore	29.03.08	UG
Orissa			
183	Sri Nrusinghnath Ayurved College & Research Centre, Paikmal	11.8.07	UG
184	Gopabandhu Ayurved Medical College, Puri	13.03.08	UG & PG
185	Govt. Ayurved College, Bolangir	17.03.08	UG
186	Kaviraj Anantha Tripathi Sharma Ayurveda College, Ankuspur, Ganjam	29.03.08	UG

187	Indira Gandhi Memorial Ay. Medical College & Hospital, Bhubneshwar	15.03.08	UG
	Punjab		
188	Gurunanak Ay.College & Hospital, Muktsar	30.7.07,29.1.08	UG
189	Mai Bhago Ay.College for Women Muktsar	31.7.07,28.1.08	UG
190	Bhai Kanhaiya Sanjeevani Ay. College, Khanna	13.8.07	UG
191	Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar	24.01.08	UG
192	Gurunanak Ayurved College, Ludhiana	23.01.08	UG
193	Shri Laxminarayan Ayurved College, Amritsar	25.01.08	UG
194	Govt. Ayurved College, Patiala	25.03.08	UG & PG
195	Shaheed Kartar Singh Sarbha Ay. College & Hospital, Ludhiana	18-19.6.07, 14.02.08	UG
196	Smt. Urmila Devi Ayurvedic College & Hospital, Hoshiarpur	14.02.08	UG
197	Baba Ke Ayurved College & Hospital, Moga	12.02.08	UG
198	Desh Bhagat Ayurved Medical College & Hospital, Mandi Gobindgarh	15-16.6.07, 09.2.08	UG
199	S.S.M.D. Ayurved College & Hospital, Moga	11.02.08	UG
	Rajasthan		
200	Punjab College of Ayurvedic Medical Sciences, Sriganganagar	21.2.08	UG
201	College of Ayurveda of Rajasthan Ayurved University Jodhpur	29 & 30.06.07	UG
202	National Institute of Ayurved, Jaipur	06.8.07, 18.2.08	UG & PG
203	JR Tantia Ay.College, Shriganganagar	25-26.6.07	UG
204	Shri Bhanwarlal Dugar Ayurved College, Sardar Shehar	19.03.08	UG

205	Shri Parsurampuriya Ayurved College, Rajasthan	20.03.08	UG
	Tamilnadu		
206	RVS Ay.College, Coimbatore	27 & 28.7.07	UG
207	Ayurved College, Coimbatore	19.03.08	UG
208	Dharma Ayurved College & Hospital, Sri Perumbudur	20.03.08	UG
209	Shri Jayendra Saraswathi Ayurved College, Enathur	19.03.08	UG
	Uttaranchal		
210	Himalayiya Ay. Medical College, Dehradun	2 & 3.7.07	UG
211	Uttaranchal Ay.College, Dehradun	8.3.08	UG
	Uttar Pradesh		
212	Major S.D. Singh Ayurvedic College, Farukhabad	22 & 23.6.07	UG
213	J.D. Ayurvedic Medical College, Aligarh	20 & 21.6.07	UG
214	Patanjali Bhartiya Ayurvigyan Avam Sansthan, Haridwar	27-28.7.07	UG
215	Yagya Dutt Ayurved College, Khurza	29.01.08	UG
216	Lalithari Govt. Ayurved College, Pilibhit	15.03.08	UG & PG
217	S.R.M. Ayurved College, Baraielly	17.03.08	UG
218	State Ayurvedic College, Lucknow	28.03.08	UG & PG
219	Govt. Ayurved College, Varanasi	26.03.08	UG
220	Institute of Medical Sciences, BHU Varanasi	25.03.08	UG & PG
221	Shamme Gausia Ayurved College, Ghazipur	28.03.08	UG
222	Sri Sai Ayurved College, Aligarh	14.03.08	UG
223	Swami Kalyandev Govt. Ay. College, Muzaffarnagar	28.01.08	UG

West Bengal			
224	Belly Shankarpur Rajiv Gandhi Memorial Ayurved Medical College, Fingapara, 24 Parganas	29.01.08	UG
225	Institute of Post graduate Ayurved Education. & Research Shyamadas Vaidya Shastrapeeth, Calcutta	27.03.08	PG
226	JB Roy State Ay. College & Hospital, Calcutta	26.03.08	UG

UNANI

The Salient features of the recommendations are as under: -

Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee that Pre-tib course will continue as provided under the IMCC Minimum Standard of Education in Indian Medicine (Amendment) Regulations, 1995.

Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee to adopt the UGC norms and retirement age be raised to 65 years in all Unani colleges.

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/included the following medical qualifications of Unani in the Second Schedule to the Indian Medical Central Council Act, 1970 during the year 2007-08:-

Name of University / Board of Medical Institute	Recognized Medical qualification	Abbreviation for Registration	Remarks
1	2	3	4
1. Barakatullah Vishwavidyalaya, Bhopal	Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery)	BUMS	From 2007 Onwards

The Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee to include the qualifications, Fazil (Urdu, Arabic, Persian, Islamiyat and Allama Fazila granted by Jamia Darus Salam, Malerkotla (Punjab) and Jamia-Tus-Salehat, Rampur (UP) respectively in the list of oriental qualifications approved by the CCIM for admission to Pre-tib course to Kamil-e-tib-o-Jarahat course. It was also decided that institutions taking admission to Pre Tib course should take admission in Pre Tib and main BUMS course within the permitted intake capacity.

PERMISSION TO NEW COLLEGES

As per provisions of the Establishment of new medical college, opening of new or higher course of studies or training and increase of admission capacity by a medical college Regulations, 2003, 01 proposals for starting new Unani colleges, 02 proposal for starting Post-graduate course in Unani were received from Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of AYUSH. The Central Council after screening the proposals for the above purpose carried out inspection, 01 for starting new Unani College, 02 proposals for starting PG Course in Unani for examination of Scheme before sending the recommendations to the Government of India as required under Section 13 A of IMCC Act, 1970.

The Recommendations of the Central Council were sent to Government of India.

VISITATION OF COLLEGES

The following Unani Tibb Colleges were visited to assess the available facilities of teaching and practical training for conducting Under-graduate and post-graduate Course in conformity with the Minimum Standards and Requirements prescribed/laid down by Central Council for Unani Colleges and attached hospitals. The details are as under:-

S.No.	Name of College	Date of Visitation	UG/PG
1.	Govt. Nizamia Tibbi College, HYDERABAD (A.P.)	27-28.02.2008	UG
2.	Dr. Abdul Haq Unani Medical Coll., KURNOOL A.P.)	29.02-01.03.2008	UG
3.	Mohsin-e-Millat Unani Medical Coll., RAIPUR Chhatisgarh)	03-04.03.2008	UG
4.	Jamia Tibbia Deoband, SAHARANPUR (U.P.)	08.03.2008	UG & PG
5.	Saifia Hamidia Unani Tibbia College, BURHANPUR M.P.)	04-05.03.2008	UG
6.	Deoband Unani Medical College, DEOBAND, Distt. SAHARANPUR U.P.)	07.03.2008	UG
7.	HMS Unani Medical College, TUMKUR (Karnataka)	11.03.2008	UG
8.	Luqman Unani Medical College, BIJAPUR (Karnataka)	08.03.2008	UG
9.	Tipu Sultan Unani Medical College, GULBARGA (Karnataka)	10.03.2008	UG
10.	Allama Iqbal Unani Medical College, MUZAFFARNAGAR (U.P.)	06.03.2008	UG
11.	Govt. Tibbia College, PATNA (Bihar)	27-28.02.2008	UG
12.	Nizamia Unani Medical College, GAYA (Bihar)	29.02-01.03.2008	UG
13.	Govt. Unani Medical College, BANGALORE (Karnataka)	10.03.2008	UG
14.	Sham-e-Ghausia Minority Unani Medical College, GHAZIPUR (U.P.)	15.03.2008	UG
15.	Z.V.M. Unani Medical College, PUNE (MS)	24.03.2008	UG

16.	Mohammadia Tibbia College, MALEGAON (MS)	26.03.2008	UG
17.	Iqra Unani Medical College, JALGAON (MS)	28.03.2008	UG
18.	State Unani Medical College, ALLAHABAD (U.P.)	26.03.2008	UG
19.	Zulfequar Haider Unani Medical College, SIWAN (Bihar)	24.03.2008	UG
20.	Ibn-e-Sina Tibbia College, Distt. AZAMGARH (U.P.)	17.03.2008	UG
21.	Ahmed Gharib Unani Medical College, AKKALKUWA (MS)	31.03.2008	UG
22.	Eram Unani Medical College, Lucknow	13-14.7.07	UG
23.	Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad	8-9-7.07	PG
24.	National Institute of Unani Medicine, Bangalore	6-7.8.07	PG

SIDDHA

The existing Syllabus of Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery) was translated into English through organizing a meeting of Experts/members of CCIM on 8 & 9.1.2008.

PERMISSION TO NEW SIDDHA COLLEGE

The Central Council after examination of the scheme agreed to send the recommendations of to Govt. of India to issue letter of permission for admission of 30 students at R.V.S. Siddha Medical College, Sullur, Coimbatore (Tamil Nadu) from the academic year 2007-08.

VISITATION OF COLLEGES

The following Siddha Colleges were visited to assess the available facilities of teaching and practical training in conformity with the Minimum Standards and

Requirements laid down by Central Council for Siddha colleges & Hospital. The details are as under:-

S.No.	Name of College	Date of Visitation	UG/PG
1.	ATSVS Siddha Medical College, Munchirai	26.03.2008	UG
2.	Santhigiri Siddha Medical College, Thiruvananthapuram	27.3.2008	UG
3.	Govt.Siddha Medical College,Chennai	18.3.2008	UG & PG
4.	Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai	25.3.2008	UG & PG
5.	Sri Sai Ram Siddha Medical College, Kancheepuram	19.3.2008	UG
6.	Velumallu Siddha Medical College, Kancheepuram	17.3.2008	UG

REGISTRATION

Central Council agreed to the recommendations of Executive Committee that as the legal position to flowing from the Section 17(3) (a) & (b) of IMCC Act, 1970 that the name of persons holding Ayurved Ratan and Vaidya Visharad qualification obtained after 1967 and register on or before 01.10.1976 could not be deleted from the State Register as 17(3)(a) protect their right to practice in the State where they are registered and these should not be allowed to carryout the practice of Indian Medicine out side the territory of that state.

Further it was decided that affidavit be file in view of the decision of Executive Committee

A Committee/meeting held on 19-20th December,2007 with Principal Secretary, Medical Education, Government of MP, Director of Indian Systems of Medicine and President/Registrar, Board of Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, Bhopal to discuss the issues relating to registration.

During the year 2007-08, 67 Enrolment Certificates were issued to practitioner of ISM on the basis of their names included in the Central Register of Indian Medicine.

02 Direct Registration were given to practitioners of Indian Systems of Medicine, possessing a recognized medical qualification included in the schedule to IMCC Act,1970.

ADMINISTRATION AND FINANCE

The total number of posts for the office of the Council are as under:-

S. No.	Designation of the Post	Group	No. of Post
1.	Registrar-cum-Secretary	A	01
2.	Asstt.Registrar(Ay.)	A	01
3.	Asstt.Registrar(Unani)	A	01
4.	Asstt. Secretary (Regn.)	A	01
5.	Asstt.Secretary (Admn)	A	01
6.	Office Superintendent	B	01
7.	Accountant	B	01
8.	Hindi Translator	C	01
9.	Jr.Stenographer	C	03
10.	U.D.C	C	04
11.	L.D.C.	C	11
12.	Duplicating Operator	C	01

13.	Daftary	D	02
14.	Peon	D	06
		Total	35

The Central Council is a small organization having 35 employees. However, every care is being taken to ensure the reservation as per order of Government of India issued time to time. The position of reservation for different categories is as under:-

1.	Scheduled Caste	Six
2.	Schedule Tribe	Three
3.	Other Backward class	Two
4.	Physically Handicapped	Two

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimate and Revised Estimate for the year 2007-2008 and released/sanctioned by the Government are as under:-

	Non Plan (Rs.in lakh)	Plan (Rs.in lakh)
1. Budget Estimate 2007-2008 (Approved by the Council)	215.00	19.00
2. Budget Estimate 2007-2008 (allocation by the Ministry)	50.00	20.00
3. Revised Estimate 2007-2008 (Approved by the Council)	262.00	30.00
4. Revised Estimates 2007-2008 (Allocation by the Ministry)	50.00	10.00
5. Grant-in-aid (released by Ministry)	50.00	18.60

FUTURE PROGRAMMES

1. To ensure Minimum Standards of Education in Colleges of Indian Systems of Medicine.
2. To continue the review of the existing Curriculum and Syllabus of Under Graduate and Post-graduate courses of Ayurveda, Unani and Siddha and organising Workshops.
3. To prepare & maintain the Central Register of Indian Medicine.
4. To organize Seminars on various important topics of Indian Systems of Medicine.
5. Visitation of Ayurveda/Unani/Siddha colleges imparting education in Under Graduate and Post-graduate courses in these systems.
6. To issue the Enrolment Certificate to the practitioners of Indian Systems of Medicine.
7. To issue Direct Registration Certificate to practitioners of Indian Systems of Medicine of those State where State Registration Council does not exist.
8. To consider the application for establishing of new Ayurved, Unani and Siddha College, opening of new or higher course of study and increase of admission capacity by a medical college in accordance with the provisions of the "Establishment of New Medical Colleges and Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical Colleges Regulations, 2003".
9. To consider the application of existing college for furnishing recommendations to Govt. of India for permission as required under Section 13 C of IMCC Act, 1970.
10. Translation work of Syllabus of Under Graduate and Post Graduate Course of Indian Systems of Medicine
11. Framing of Post-graduate Diploma course in Ayurved in various specialties.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT,

CENTRAL REVENUES

NEW DELHI-110002

No.AMG/sAR/CIM/2007-08/1005

Dated: 22-10-08

Copy of the certified annual accounts alongwith Hindi Annual Account of the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Shri P.R.Sharma, Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New delhi-110058 for necessary action.

Two copies of documents submitted to Parliament, showing the dates when they were submitted to Parliament may be furnished to this office of the Comptroller General of Audit, India.

Sd/-

Director of Audit
(AMG-IV)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Central Council of Indian Medicine for the year ended 31st March,2008

We have audited the attached Balance Sheet of Central Council of Indian Medicine as at 31st March,2008 and the Income & Expenditure account, Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act,1971 read with Rule 86 of the Council's Regulations, 1970 under Indian Medicine Central Council Act,1970. These financial statements are the responsibility of the Council's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statement based on our audit.

2. This separate Audit report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with reference to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. audit observation on financial transactions with regard to compliance with the law, rules, regulations, (propriety, regularity) and efficiency-cum-performances aspects etc., if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records

been maintained by the Central Council of Indian Medicine in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Balance Sheet

1. Liabilities

1.1 No provision has been made for the gratuity and leave encashment.

2. Assets

2.1 Investment-Non adherence to the pattern for investment of GPF/Pension Fund

2.1.1 The Council had not made the Investment as per pattern prescribed by the Ministry of Finance vide notification No.F.5(53)/2002-ECB & PR dated 24.1.2008.

B. General

1. The consolidated Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account should be prepared by using the columns for Grant-in-aid, own sources fund etc. At present three set of accounts are prepared which are independent of each other and do not give a comprehensive picture of the financial position of the organization.

C. Grants-in-aid

The Council received grant-in-aid Rs.68.60 lakh (Rs.18.60 lakh for Plan and Rs.50.00 lakh non-plan) during the year and also had its own receipts of Rs.407.15 lakh. It could utilise a sum of Rs.254.15 lakh (Plan Rs.18.66 and Non Plan Rs.235.49 lakh) leaving a balance of Rs.221.66 lakh (Non-Plan)

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements and together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the State of Affairs of the Central Council of Indian Medicine as at 31st March,2008 and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Annexure-I

to audit report of Central Council of Indian Medicine for the year 2007-08.

1. Adequacy of Internal audit system:

- The Internal audit is being conducted by the PAO of the Ministry of Health & Family Welfare, who have conducted audit up to 2006-07.
- Proper follow up of action was not taken up to get the objection settled. 10 paras for period from 2004-05 to 2006-07 are outstanding. The money value of outstanding paras is Rs.40.02 lakh.

2. Adequacy of Internal Control System:

Control environment

- The recruitment rules have not been approved by the administrative Ministry.

Monitoring

- The response of the management to audit objection is not effective. paras for the period from 2004-05 to 2006-07 are outstanding..

3. System of physical verification of assets:

- The physical verification of fixed assets for the period 2007-08 was conducted and no deficiency has been reported.

4. System of physical verification of inventory:

- The physical verification of books and publications, stationery and other consumable items had been conducted for the year 2007-08.

5. Regularity in payment of dues

- As per accounts no payment over six months in respect of statutory dues is outstanding as on 31.3.2008.

**FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL COUNCIL OF
INDIAN MEDICINE, NEW DELHI
(NON-PROFIT ORGANIZATION)
FOR THE YEAR 2007 - 08**

CONTENTS

BALANCE SHEET	1
INCOME & EXPENDITURE	2
SCHEDULES TO FINANCIAL STATEMENTS	3 to 26
STATEMENTS OF RECEIPTS AND PAYMENT	27
SPENSION FUND BALANCE SHEET AND RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT	28 to 32
G.P.F. BALANCE SHEET AND RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS	33 to 36

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2008**

(Amount Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON - PLAN	PLAN	NON - PLAN	PLAN
CAPITAL FUND AND LIABILITIES					
CORPUS FUND	1 (NP) & 9 (P)	79,94,877	6,35,934	70,09,442	7,44,635
RESERVE FUND	2	5,53,76,491	--	3,30,22,768	--
CURRENT LIABILITIES	3	12,500	--	10,000	--
INVESTMENTS OTHERS	4	1,04,96,494	--	1,18,41,479	--
TOTAL		7,38,80,362	6,35,934	5,18,83,689	7,44,635
ASSETS					
FIXED ASSETS (SCHEDULE 8)					
CURRENT ASSETS, ADVANCES ETC	5 (NP) & 10 (P)	19,05,674	6,15,974	8,18,610	7,24,675
OUTSTANDING FEES		14,700	19,960	50,548	19,960
INVESTMENTS	6 (NP)	36,21,792	--	42,60,200	--
POSTAGE STAMPS		1,04,96,494	--	1,18,41,479	--
CLOSING BALANCE: -	7 (NP)	16,097	--	15,823	--
CASH AT BANK (INTERNAL FUND)		52,802	--	8,57,420	--
CASH AT BANK (RESERVE FUND)		5,53,76,491	--	3,30,22,768	--
ACCRUED INTEREST RESERVE FUND		23,96,312	--	10,16,841	--
TOTAL		7,38,80,362	6,35,934	5,18,83,689	7,44,635
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	22				

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008

(Amount Rs.)

INCOME	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
Grant-in-aid	11 (NP)	50,00,000	18,60,253	52,82,618	13,30,000
Fee		3,80,58,428	--	2,93,52,828	--
Other Receipts		2,60,683	--	3,53,069	--
Accrued interest Reserve Fund	14 (NP)	23,96,312	--	10,16,841	--
TOTAL A		4,57,15,423	18,60,253	3,60,05,356	13,30,000
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	15 (NP)	67,56,371	--	61,74,660	--
Administrative Expenses		90,44,694	17,58,115	54,96,504	12,45,553
Travelling Expenses		59,23,686	--	71,92,206	--
Adjusted Assets DAVP		--	--	--	24,031
Depreciation (Schudide-8)	16 (NP) & 19	3,68,054	1,08,701	1,48,901	1,27,884
Refundable unspent balance		--	1,41,885	--	39,747
TOTAL B		2,20,92,805	20,08,701	1,90,12,271	14,37,215
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		2,36,22,618	-1,48,448	1,69,93,085	-1,07,215
Transfer to Reserve Fund		2,14,00,000	--	1,60,60,000	--
Transfer to Corpus Fund		14,56,431	--	1,04,599	44,700
Transfer to Capital Fund		--	--	--	--
BALANCE BEING SURPLUS/DEFICIT CARRIED TO CORPUS FUND	22	+22,22,618	-1,48,448	+9,33,085	-1,07,215
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES					

SCHEDULE - I

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND NON -PLAN

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

CORPUS FUND	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
As per last Balance Sheet	70,09,442	60,76,355
Addition :- Excess of Income over Expenditure	<u>22,22,618</u>	<u>9,33,085</u>
	92,32,060	70,09,440
Deduction:- Adjusted Accrued interest 2006-07	--	--
Deduction : Assets de - capitalized penalty & Lib.Book	12,37,183	79,94,877
Addition :- Due to Round off as per schedule-8 & Cash at Bank	--	2
Total	79,94,877	70,09,442

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

RESERVE FUND

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Reserve Fund		
As per last Account	3,30,22,768	1,67,00,000
Addition : During the year	<u>2,14,00,000</u>	<u>1,60,60,000</u>
Less : Adjusted during year	5,44,22,768	3,27,60,000
	--	<u>NIL</u>
Add.:- Interest earned	9,53,723	2,62,768
	5,53,76,491	3,30,22,768
Total	5,53,76,491	3,30,22,768

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Details of Current Liabilities Non-Plan

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Current Liabilities		
Security		
As per last Account	10,000	5,000
Addition : during the year	<u>2,500</u>	<u>5,000</u>
	12,500	10,000
Less : Adjusted during the year	<u>NIL</u>	--
	12,500	10,000
Total	12,500	10,000

SCHEDULE- 4

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
INVESTMENTS IN RESPECT OF PENSION FUND & GPF
 Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
Pension Fund			
Investments as F.D.	33,00,000		44,00,000
Cash at Bank	1,62,087		12,47,682
Accrued interest 2007-08	<u>1,86,529</u>	36,48,616	<u>1,73,808</u> 58,21,490
G.P.F.			
Investments as F.D.	61,85,261		55,60,261
Cash at Bank	6,21,771		4,27,523
Accrued interest 2007-08	<u>40,846</u>	68,47,878	<u>32,205</u> 60,19,989
Total		1,04,96,494	1,18,41,479

SCHEDULE- 5

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF ADVANCES UNDER NON-PLAN
 Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
Festival Advance			
As per last Account	16,200		16,950
Addition : during the year	<u>24,000</u>		<u>28,500</u>
	40,200		45,450
Less : Deduction during the year	<u>25,500</u>	14,700	<u>29,250</u> 16,200
Computer Advance			
As per last Account	Nil	Nil	7,000
Less : Deduction during the year			<u>7,000</u> Nil
Car Advance			
As per last Account	13,320		49,320
Less : Deduction during the year	<u>13,320</u>	Nil	<u>36,000</u> 13,320
H.B.A.			
As per last Account	Nil	Nil	30,210
Less : Deduction during the year			<u>30,210</u> Nil
Telephone			
As per last Account	Nil	Nil	9,228
L.T.C. Advance			
As per last Account	Nil	Nil	11,800
During the year	Nil	Nil	9,228
			11,800

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF OUTSTANDING FEES AND PENALTY UNDER NON-PLAN

SCHEDULE- 6

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Outstanding Fees		
As per last Account	40,62,200	46,57,200
Addition : during the year	<u>23,40,000</u>	<u>9,00,000</u>
	64,02,200	55,57,200
Less : Recovery against outstanding	<u>27,80,408</u>	<u>14,95,000</u>
	36,21,792	40,62,200
Outstanding penalty		
As per last Account	1,98,000	Nil
Addition : during the year	<u>21,029</u>	<u>1,98,000</u>
	2,19,029	1,98,000
Less : Exempted by E.C.	<u>2,19,029</u>	---
	Nil	1,98,000
Total	36,21,792	42,60,200

44

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF POSTAGE STAMPS NON-PLAN

SCHEDULE- 7

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Postage Stamps		
As per last Account	18,823	1,154
Addition : during the year	<u>50,500</u>	<u>1,01,000</u>
	66,323	1,02,154
Less : Adjustment during the year	<u>50,226</u>	<u>86,331</u>
	16,097	15,823
Total	16,097	15,823

45

SCHEDULE-8

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI
NON-RECURRING NATURE ASSETS (2007-08) (NON-PLAN)**

S.No	Name of Article	Opening Balance	Addition	Redemption	Closing Balance 31-03-08	Deprecations	Written Down Value
1.	Furniture & Fixture	272042	211236	-	483278	72492	410786
2.	Office Equipments	491822	1003565	-	1495387	224308	1271079
3.	Air cooling	28,308	241630	-	269938	67485	202453
4.	Books for Library	26438	-	1313	25125	3769	21356
	Total	818610	1456431	1313	2273728	368054	1905674

SCHEDULE -9

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND PLAN**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
Corpus Fund			
As per last Balance Sheet	7,44,635		11,06,590
Less : Excess of Expenditure over Income	<u>1,48,448</u>		<u>1,07,215</u>
	5,96,187		9,99,375
Less :- Refund unspent Grant	--		<u>2,54,741</u>
Add:- Unspent Grant 2006-07	39,747		7,44,634
Add:- Due to Round off as per Schedule-8	--		1
		6,35,934	7,44,635
Total		6,35,934	7,44,635

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CURRENT ASSETS/ADVANCES PLAN**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
<u>Telephone</u>				
As per last Account	19,960	19,960	19,960	19,960
<u>D.A.V.P.</u>				
As per last Account	Nil	Nil	24,031	Nil
Less:- Adjustment during the year	--	--	<u>23,031</u>	--
Total		19,960		19,960

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Recoverable Fee & penalty during the year Non-Plan

Schedule forming part of Income and Expenditure Account as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Fees recoverable during the year		65,10,000		63,20,000
Fees received from the New colleges		59,50,000		70,00,000
Fees received from intake capacity / Post Graduate Course		1,16,00,000		1,08,00,000
Fees received Enrolment		39,000		30,000
Fees received from Registration		23,000		2,000
Fees received from Right to Information		15,399		1,828
Late Fee		21,029		1,000
Fee received under section 13 (C)		1,39,00,000		50,00,000
Penalty recoverable		Nil		1,98,000
Total		3,80,58,428		2,93,52,828

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI**

NON-RECURRING NATURE ASSETS (2007-08) (PLAN)

S.No	Name of Article	Opening Balance	Addition	Redemption	Closing Balance 31-03-08	Deprecations	Written Down Value
1.	Furniture & Fixture	175301	-	-	175301	26295	149006
2.	Office Equipments	480532	-	-	480532	72080	408452
3.	Books for Library	68842	-	-	68842	10326	58516
	Total	724675	-	-	724675	108701	615974

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Fee received Non-Plan

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.3.2008

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees received against outstanding	27,80,408	14,95,000
Fees received during the year	41,70,000	54,20,000
Fees received against New colleges	59,50,000	70,00,000
Fees received against Intake capacity / Post Graduate Course	1,16,00,000	1,08,00,000
Fees received against Enrolment	39,000	30,000
Fees received against Registration	23,000*	2,000
Fees received against Right to Information	15,399	1,828
Fees received against Late Fee (Recognition Fee)	21,029	1,000
Fee received against existing college (Section 13 C)	1,39,00,000	50,00,000
Total	3,84,98,836	2,97,49,828

(Amount Rs.)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Recovery of Advances Non-Plan

Schedule forming part of Receipts and Payments as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Festival Advance	25,500	29,250
Car Advance	13,320	36,000
H.B.A.	--	30,210
Computer Advance	--	7,000
Total	38,820	1,02,460

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Other Receipts. Non-Plan

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Interest received against Car Advance	44,520	23,520
Interest received against S.B. Account	1,22,730	2,16,836
Recovery from Employees	4,137	49,644
Sales of Radhi	5,550	1,725
C.G.H.S. Contribution from Employees	15,950	16,770
L.T.C. Refound from Employees	--	19,360
Medical Adjustment refund	--	8,214
Interest received against H.B.A.	48,000	12,000
Interest received Computer Advance	5,463	5,000
Past Service	302	--
Sale of form	600	--
TPA Recovery	200	--
Book for Library	1313	--
Maintenance	11918	--
Total	2,60,683	3,53,069

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Establishment Expenses Non - Plan

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pay of Secretary & staff	29,43,753	31,63,963
Non-Practicing Allowance	129984	1,26,816
Dearness Allowance	12,26,781	9,13,726
House Rent Allowance	9,21,433	9,85,026
Transport Allowance	59,800	70,000
City Compensatory Allowance	91,300	96,900
Washing Allowance	2,100	2,160
Bonus	66,609	66,609
Leave Travel Concession	11,661	1,16,984
Overtime Allowance	27,752	29,074
Honorarium	1,06,167	--
Contribution to C.G.H.S.	1,07,388	1,33,431
Tuition Fee	3,000	2,040
Medical Reimbursement	5,49,792	1,26,407
Interest transferred to GPF	1,15,139	2,02,808
Prizes	--	3,600
Wages	3,50,070	1,35,116
Carrier Advance Scheme	3,000	--
TA on retirement	40,642	--
Total	67,56,371	61,74,660

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Administrative Expenses Non-Plan

Schedule forming part of Receipts & Payments Account as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Stationery	6,14,173	8,02,244
Telephone	1,00,107	78,333
Postage & Telegram	1,09,667	1,07,023
Postage Stamps	50,226	86,331
Newspapers & Periodical Books	9,000	9,033
Liveries	11,685	1,605
Audit Fee	53,680	63,445
Printing	51,121	32,440
Legal	5,52,087	7,45,428
Publication	49,85,860	30,56,238
Bank Charges	11,550	2,340
Maintenance	19,63,145	1,36,201
Miscellaneous	2,40,221	1,73,988
Training to Employees	--	5,051
T.D.S. to SBI	76,910	46,535
I.T. Charges	45,909	45,423
Courier	55,926	72,029
Taxi Hire	31,600	32,676
Late Fee	--	141
Advertisement	81,827	--
Total	90,44,694	54,96,504

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Fixed Assets Non-Plan

Schedule forming part of Receipts & Payments Account as at 31.3.2008

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Furniture & Fixture	2,11,236	5,199
Office Equipment	10,03,565	99,400
Air Cooling Appliances	2,41,630	--
Total	14,56,431	1,04,599

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Travelling Expenses Non-Plan

Schedule forming part of Receipts & Payments Account as at 31.3.2008

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
President/Vice-President	4,28,015	2,64,645
Secretary/Staff	87,551	82,046
Executive Committee	5,02,173	4,12,793
Education Committee Ayurved	--	1,62,506
Education Committee Unani	1,08,813	1,00,706
Education Committee (Siddha)	28,145	39,985
Sub-Committee	6,69,686	6,36,278
Member of Council	18,92,069	11,51,479
Visitation of Ayurved	19,39,466	34,90,112
Visitation of Unani	2,52,872	7,92,544
Visitation of Siddha	--	46,728
DPC/Selection Committee	6,980	--
Conveyance Expenses	7,916	12,384
Total	59,23,686	71,92,206

SCHEDULE -19

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Administrative Expenses Plan

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>Travelling Expenses</u>		
Meeting/Workshop (Registration)	--	2,35,522
Meeting/Workshop (Ayurved)	5,98,312	4,52,316
Meeting/Workshop (Unani)	4,52,726	2,74,929
Meeting/Workshop (Siddha)	1,88,102	1,09,866
Miscellaneous Expenses	84,589	79,746
Stationery	23,386	56,829
Remuneration	4,11,000	11,200
DAVP to Advertisement	--	25,145
Total	17,58,115	12,45,553

SCHEDULE- 20

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Fixed Assets Plan

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.3.2008

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Office Equipment	--	44,700
Total	Nil	44,700

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI**

PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT

Details of Investment as on 31.03.2008

1	T.D CS/004	0432924	Matured on 30.08.2008	60,00,000.00
2	T.D.C.S./004	0433119	Matured on 09.10.2009	80,00,000.00
3	T.D.C.S./004	0433120	Matured on 09.10.2009	50,00,000.00
4	TD CS/004	0436571	Matured on 21.02.2009	75,00,000.00
5	TD CS/004	0436718	Matured on 06.03.2009	85,00,000.00
6	TD CS/004	0438514	Matured on 28.01.2010	40,00,000.00
7	TD CS/004	0438517	Matured on 24.03.2011	1,00,00,000.00
			TOTAL	4,90,00,000.00

Total **4, 90,00,000.00**

BANK BALANCE **63, 76,491.00**

Grand Total **5, 53,76,491.00**

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110058**

Notes on Accounts and significant Accounting Policies

1. The accounts have been prepared under the historical cost convention and on accrual basis.
2. Plan fund received from the Central Government has been shown in separate funds, and maintained separately.
3. Reserve fund has been generated from fees for future expenses.
4. Investments has been made in FD in SBI for long terms to avoid the risk factor.
5. Accounting of Revenue and capital expenditure are from the Grant under Non Plan and Plan and fees received.
6. **Corpus Funds :-**
This represents the accumulated balance of Excess of Income over Expenditure mainly from fees and Net value of fixed assets acquired from grant-in-aid.
7. **Contingent Liability :-**

Council has no contingent liability on the Balance Sheet as on date.

8. Depreciation

Depreciation on fixed assets has been provided w.e.f. the year 2007-08 on the written down value of assets at the following rates.

Item	Rate of Depreciation
Furniture & Fixtures	15%
Office equipment	25%
Computers	60%
Air cooling	25%
Library Books	15%

9. There are no foreign currency transactions in the year.

10. Figures have been rounded off to nearest rupees.

11. Accounts of Pension Fund and GPF is maintained separately and is shown in Main Balance Sheet under Non Plan.

12. The Central Council of Indian Medicine is maintained Pension Fund towards meeting a Pension liabilities.

13. The Annual Accounts of the CCIM are approved by the competent authority.

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Receipts and Payments for the period/year ended 31st March, 2008

RECEIPTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR		PAYMENTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
Opening Balance									
Cash in Hand	1,000	--	1,266	--	Estt. Expenses Sch 15(NP)	67,56,371	--	61,74,660	--
Cash at Bank	8,56,419	39,747	4,46,116	2,54,741	Admn. Expenses Sch 16(NP)&19(P)	90,44,694	17,58,115	54,96,504	12,45,553
Postage Stamps	15,823	--	1,154	--	Fixed Assets Sch 17(NP)&20(P)	14,56,431	--	1,04,599	44,700
Grant Received	50,00,000	18,60,253	52,82,618	13,30,000	Travelling Exp. Sch 18 (NP)	59,23,686	--	71,92,206	--
Fee Received Sch 12 (NP)	3,84,98,836	--	2,97,49,828	--	Festival Advance	24,000	--	28,500	--
Recovery of Advances	38,820	--	1,02,460	--	Security Refund	--	--	--	--
Sch 13(NP)	2,60,683	--	3,53,069	--	Reserve Fund	2,14,00,000	--	1,60,60,000	--
Other Receipts Sch 14NP	2,500	--	5,000	--	Refund to Ministry	--	--	--	2,54,741
Security					L.T.C. outstanding Adv.	--	--	11,800	--
					Closing Balances	165	--	1000	--
					Cash in Hand	52,637	1,41,885	8,56,419	39,747
					Cash at Bank	16,097	--	15,823	--
					Postage Stamps				
Total	4,46,74,081	19,00,000	3,59,41,511	15,84,741		4,46,74,081	19,00,000	3,59,41,511	15,84,741

(Amount Rs.)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Pension-cum-Gratuity Fund Balance Sheet as on 31st March, 2008

(Amount Rs.)

<u>LIABILITIES</u>	<u>SCHEDULE</u>	<u>CURRENT YEAR</u>	<u>PREVIOUS YEAR</u>
<u>Capital Fund</u>	23	36,48,616	58,21,490
Total		36,48,616	58,21,490
<u>ASSETS</u>			
Investments in Bank	24	33,00,000	44,00,000
Closing Balance Cash at Bank		1,62,087	12,47,682
Accrued interest 2007-08		1,86,529	1,73,808
Total		36,48,616	58,21,490

SCHEDULE -23

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Details of Capital Fund in respect of Pension-cum-gratuity Fund

(Amount Rs.)

<u>HEAD</u>	<u>CURRENT YEAR</u>	<u>PREVIOUS YEAR</u>
As per last Account	--	--
Addition : Interest earned on F.D	58,94,292	58,94,292
Interest received on S.B.Account	1,44,972	1,44,972
Pension & Leave Contribution	15,514	15,514
Accrued interest 2007-08	336	336
	<u>1,73,808</u>	<u>1,73,808</u>
	61,12,951	62,28,922
Less : Pension Paid	4,07,432	4,07,432
Adjusted Accrued interest 2006-07		
Bank Charges	370	
Final Payments	16,60,184	
T.D.S. deducted by bank on F.D.	<u>-24,64,335</u>	
Total	36,48,616	58,21,490

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI

Pension-cum-Gratuity Fund

Details of Investment as on 31.03.2008

1	TD. A/41	152280	Matured on 03.05.2008	5,00,000.00
2	T.D.C.S./004	426364	Matured on 28.06.2009	18,00,000.00
3	T.D.C.S./004	0431597	Matured on 01.09.2009	10,00,000.00
Total				33,00,000.00

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Pension – cum-Gratuity Fund

Receipts and Payments for the year ended 31st March, 2008

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS Amount Rs.)	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>Opening Balance</u>			Monthly Pension	6,13,335	4,07,432
Cash at Bank			Bank Charges	270	350
Income on Investments	12,47,682	1,19,292	Committed of pension	6,96,056	--
Interest received from FDR	10,83,362	13,75,000	Gratuity	6,03,556	--
Interest Received on S.B.A/C	58,988	1,44,972	Leave Encashment	3,60,572	--
Other Income <u>Schedule 25</u>	21,578	15,514	Short debit by bank	100	--
	24,366	686	<u>Closing Balance</u>		
			Cash at Bank	1,62,087	12,47,682
Total	24,35,976	16,55,464	Total	24,35,976	16,55,464

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**Other Income**

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pension Contribution	13,321	686
Leave Contribution	11,045	--
Total	24,366	686

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**General Provident Fund Balance Sheet as on 31st March, 2008**

(Amount Rs.)

LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
General Provident Fund Subscription	26	68,47,878	60,19,989
Total		68,47,878	60,19,989
ASSETS			
Investments in Bank as F.D.	27	61,85,261	55,60,261
Closing Balance Cash at Bank		6,21,771	4,27,523
Accrued interest 2007-08		40,846	32,205
Total		68,47,878	60,19,989

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE -26

Details of General Provident Fund Subscriptions

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
As per last Account	60,19,989		54,07,517
Addition : Subscription	12,04,200		11,88,900
Interest on F.D.	3,76,559		2,82,260
Interest on S.B. Account	19,335		19,322
Interest transferred from N.P.	1,15,139		2,02,808
Recovery of Advances	2,70,455		2,15,400
Interest on S.D.S.	--		22,821
Accrued interest 2007-08	40,846	80,46,523	32,205
Less :			
i) Final Payment	1,66,440		4,55,244
ii) Withdrawal	7,80,000		5,93,000
iii) Advances to employees	2,20,000		3,03,000
iv) Adjusted accrued interest 2006-07	32,205	11,98,645	
Total		68,47,878	60,19,989

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**NEW DELHI**

SCHEDULE- 27

General Provident Fund

Details of Investment as on 31.03.2008

(Amount Rs.)

1	TD. A/41	154826	Matured on 19.10.2008	3,00,000.00
2	TD. A/48	065013	Matured on 27.10.2008	9,00,000.00
3	TD. A/61	065993	Matured on 21.01.2009	3,00,000.00
4	TD. A/61	066301	Matured on 04.04.2009	5,00,000.00
5	T.D.C.S./004	428341	Matured on 04.11.2010	6,00,000.00
6	Bank of India, Jhandewalan, New Delhi		Special Deposit scheme	2,85,261.00
7	T.D.C.S./004	0431821	Matured on 01.12.2008	10,00,000.00
8	T.D.C.S./004	0432925	Matured on 30.08.2009	6,00,000.00
9	T.D.C.S./004	434762	Matured on 28.03.2009	7,00,000.00
10	T.D.C.S./004	438504	Matured on 18.01.2011	10,00,000.00

Total 61,85,261.00

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

General Provident Fund

Receipts and Payments for the year ended 31st March, 2008

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>Opening Balance</u>				2,20,000	3,03,000
Cash at Bank	4,27,523	5,97,256	Advances		
<u>Interest Received</u>			Withdrawal	7,80,000	5,93,000
i) Interest earned on F.D.	3,76,559	2,82,260	Final Payment	1,66,440	4,55,244
ii) Interest received on S.B. Account	19,335	19,322	Investment in F.D.	10,00,000	13,00,000
iii) Interest transferred from N.P.	1,15,139	2,02,808			
vi) Interest S.D.S.	--	22,821			
<u>Others Receipts</u>					
i) Subscription	12,04,200	11,88,900			
ii) Recovery of Advances	2,70,455	2,15,400	<u>Closing Balance</u>		
iii) Matured F.D.R.	3,75,000	5,50,000	Cash at Bank	6,21,771	4,27,523
Total	27,88,211	30,78,767	Total	27,88,211	30,78,767